[The Deputy Chairman]

that tomorrow I don't have any other problem. One minute only.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I am raising an important issue.

AN HON. MEMBER: Ayodhya?

THE DEPUTY CHAIRMAN: No Ayodhya is over.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, only three days back there has been a remark by the Special Judge appointed by the Government for the investigation which we described as "the securities scam"; I describe it securities scandal. On that particular day the judge has commented, I am just reading..

THE DEPUTY CHAIRMAN: I did not permit you to read.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Okay. The Judge has commented that the people against whom there was sufficient evidence—they are bank officers — had been left out and they had not been arrested and nothing had been done against them. Secondly, the Judge has commented that it seemed that the CBI was concerned about a single man, not about the wider ramifications. Madam, this is not the irresponsible Opposition which is hurling the abuse; it is the Judge who is making out such a case. Therefore, Madam, I appeal to the Government, Parliamentary Affairs Minister.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Parliamentary Affairs Miniter.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I appeal to the Minister of Finance —— because the investigation is being carried out directly by the Finance— to take care of the comments of the Judge and immediately proceed against those persons who are connected with that. In this case I know that a particular Chairman of a particular bank, against whom there is a serious allegation has not been arrested and he is enjoying the lavish comforts in a particular guest house of a particular nationalised bank. (*Interruptions*). They are being looked after openly by the CBI. I am not accesing. ..

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is over now.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I wish the Government sincerely proceed in the investigation without leaving the persons who are connected with it and takes care of the order of the Judge.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order. I am judge of the House. Please take your seat. The Home Minister is not concerned with it. The Home Minister has heard it and he will, I am sure, convey your feeling, as he has been doing all along.

Before I adjourn the House for lunch, I must say that we have a calling-attention to a matter of very urgent public importance. Unfortunately we could not take it up. After lunch, at 2.30 p.m. we will take up this matter. Now the House is adjourned for lunch.

The House then adjourned for lunch at thirty-seven minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-four minutes past two of the clock .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) in the Chair

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Recent killings of scheduled caste persons in village Kumher of Bharatpur District in Rajasthan

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं भरतपुर जिले के कम्हेर गांव में हाल ही में अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या किए जाने तथा इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की ओर गृह मंत्री का ध्यान खींचना चाहता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY

OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Sir, The Government has viewed with great concern the recent incidents which took place in Kumher in Bharatpur District of Rajasthan. I visited Kumher on 15-6-1992 to assess the situation and discussed with Senior Officials, measures to restore normalcy in the area. A report has since been received from the State Government on the various measures taken by the State Government to tackle the situation. The details of the incidents as reported by the State Government of Rajasthan are as follows:

CHRONOLOGY OF EVENTS

On 1st June, 1992 a scuffle took place at Kumher in Bharatpur district of Rajasthan between persons belonging to Jatav community and Jat community over the attempted entry into a cinema hall by some Jatav boys who did not have tickets Subsequently, 300 to 400 Jatav boys allegedly pelted stones at the cinema hall and damaged window-panes and fixtures.

On 3rd June, 1992, the two groups of Jatavs and Jats quarrelled with each other again. A few members of the Jatav community went on a rampage in the market at Kumher, marched in a procession to the Police Station and should abusive slogans against the members of the Jat community and the police. Some passengers including women were badly treated by them at the motor stand at Kumher.

On 4th June, 1992, a few Jat residents of a neighbouring village Pengore, stopped the drinking water supply of the adjoining villages, demanding immediate arrest of the Jatavs responsible for the June 3, 1992 incident.

On 5th June, 1992 residents of village Pengore again disrupted water supply to the neighbouring villages. Jatav residents of village Kumher were attached and 35 Jatav dwellings were set on fire. Shots were fired creating a scense of panic in the village. Soon after, there was firing in village Dhandhu-ka-Nangla close to the Jatav dwellings, in which 2 persons of the Jatav community sustained injuries.

On 6th June, 1992, members of Jat community convened a Jat Panchayat at Chawand-ka-Mand Police Station Kumher at 12.00 Noon. About 6000 persons had assembled in the village to discuss the situation. A Section of the crowd started shouting provocative slogans and threatening revenge. 7 to 8 tractor trollies carrying 400 to 500 persons holding lathis and sharp agricultural tools then drove towards Kumher town. In spite of efforts made by the Superintendent of Police and the ADM, Bharatpur to prevent the path of these miscreants, they entered the town and started damaging dwellings, shops and 'Baras' 157 houses were reduced to ashes, 95 houses were partially burnt and the roof-tops of 161 houses burnt apart from other property damage. The demage has been estimated at approximately Rs. 80.22 lakhs according to a preliminary estimate.

On receiving a report that the Jatavs had concealed explosives and material for preparation of bombs in their houses, search operations were conducted and 46 men were rounded up. During the search, 50 gm. of exploded material (4 Constables were injured when two bombs were exploded), 10 Kgs. of gun powder and one Chhuri Pataka, 6 Sutli Bombs, 306 Empty cases and miscellaneous materials for preparing contraband bombs were recovered.

On 6th June, 1992, in an incident at village Satya Nagar, 10 dwellings of Jatavs were burnt, one Jat boy was killed and 2 Jatavs were injured. In village Sainthry on 7-6-1992, Jats attacked Jatav residents killing three of them. They

also set fire to 20 Jatav dwellings. At Bharatput, 3 Jatav youths were injured in two separate incidents involving explosive devices.

DEPLOYMENT OF FORCES

All available force was rushed to the affected area. 3 Companies of CRPF and 5 columns of Army in addition to Ammunition Depot Staff, Bharatpur were rushed in from Jaipur. Senior Officers including one IGP (other than one already present at Bharatpur) 4 Deputy Is. GP, 4 Ss. P and about 20 Additional Ss.P and Deputy Ss. P in addition to the local sanctioned staff were despatched at short notice. The D. G.P., Rajasthan superivised all the arrangements there.

To further augment manpower resources of the police, 6 additional Companies of CRPF and 3 of R.A.C. were sent on 8th June, 1992. By 8th June, total deployment at Bharatpur was 6 columns of army, 9 Companies of CRPF, 19 Companies of RAC and about 500 others.

JUDICIAL ENQUIRY

A decision was taken by the Government of Rajasthan to institute a judicial enquiry into the incidents and after consultation with Chief Justice, Rajasthan High Court a one-man Commission headed by Shri K. S. Lodha. a former Judge of Rajasthan High Court was appointed on 7th June, 1992.

RELIEF PROVIDED

The Government has ordered speedy relief measures—it has taken steps to provide shelter to houseless persons, has made arrangements for food at the residences of affected persons and has provided medical treatment to affected persons at their houses. Details of relief provided upto 30-6-92 are as under:—

1. **Shelter to Houseless Persons**

During the riots in Kashmir town and villages Sainthry, Kumha Ka Vas and Satya Nagar, houses and thatched roofs of affected persons were completely destroyed. To provide them immediate shelter, 8 school buildings were requisitioned in Bada Mohalla, Kumher, Naharganj Shed Ka Madh, village Sainthry, Satya Nagar, Kumha Kheda, Pengore and wide publicity to this effect was made through Revenue officials. Most of affected persons however, opted to stay in the houses of their neighbours. A survey of persons whose houses were completely demolished and who were without shelter whatsoever, was carried out. 96 such families were rehabilitated in pucca patores (huts built by means of stone slabs) constructed with the help of Public Works Department. These shelters were raised between 20-6-1992 and 27-6-1992. Each Patore cost Rs. 2500/-.

2. **Arrangement for Food:**

On 6-6-1992 itself, 250 cooked-food packets were made available by the Red Cross to the affected families. On 7-6-1992, the District administration distributed 500 food packets and the Red Cross at so gave away 100 packets. On 8-6-1992 the District administration arranged 1036 packets in the morning and 1100 in the evening. Between 6-6-1992 and 8-6-1992, food material consisting of 760 packets containing 5 Kg. wheat flour, 700 packets containing 1 Kg. pulse, 750 packets having one Kg. of sugar and 750 packets containing 100 gms of tea were distributed. In addition to this, the Red Cross also distributed 100 packets containing 2 Kg. of flour. 100 sets, having 10 utensils each were also distributed to the families which had lost their utensils during the riots. Some voluntary organisations also distributed 60 sets of utensils on 18-6-1992. The wholesale Cooperative Consumer Stores, Bharatpur made available w.e.f. 8-6-92, items of daily necessities such as pulses, sugar, tea, soap, potato, onion, green vegetables, bidi, dhoties, etc. at fair prices through mobile vans. After the curfew was relaxed, shops opened in Kumher.

3. **Medical Aid to Affected Persons**

Medical treatment in Government hospital, Kumher and the General hospital, Bharatpur was immediately arranged with affected from 6-6-92. On 6-6-92 a team of doctors visited Kumher and treated 23 of the injured persons in the Police Station itself and referred 2 of the injured persons to Bharatpur hospital. A second team of doctors reached Kumher on 7-6-92. This team treated 9 injured persons in village Sainthry, Kumher town and referred 6 of them to Bharatpur. Three mobile medical teams have been visiting the affected localities for medical treatment.

4. **Cattle Treatment during the riots:**

40 cattle were killed and 47 injured durng the incident, who were treated by doctors sent from Bharatpur. An amount of Rs. 18,000/- has been spent on this treatment and Voluntary Society Lupin Laboratory, Bharatpur has also provided medicines worth Rs. 10,000/-.

5. The total amount of money spent on relief to the riot affected persons under various heads unpto 17th July, 1992 is about Rs. 42.49 lakhs.

An amount of Rs. 24,92,654/- was sanctioned for 556 families of which an amount of Rs. 24,13,904/- has been paid to 533 families. The remaining 23 families are to be paid an amount of Rs. 78,750/-.

INSTRUCTIONS ISSUED BY MINISTRY OF HOME AFFAIRS

From time to time, the Home Minister had been issuing letters to Governors as well as the Chief Ministers drawing their attention to the problem of atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The need to activate the State machinery for ensuring a fair deal to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and deterrent punishment for offenders have been emphasised in these letters. The Union Home Minister had written to the Chief Minister of Rajasthan on 28th April, 1992 regarding the need to review the capability of law implementing agencies.

A Conference of Chief Ministers presided over by the Prime Minister was also held on 4th and 5th October, 1991 to discuss the matter regarding prevention of atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes and several decisions were taken for immediate implementation by the State Governments.

C.B.I. INVESTIGATION

In pursuance of the Notification dated 26-6-92 issued by the Department of Personnel and Training, Government of India under Section 5 of Delhi Special Police Establishment Act, 1946 with the consent of the Government of Rajasthan, 16 cases have been registered by the Central Bureau of Investigation on the same day in connection with riots at Kumher and Bharatpur and investigation taken up. The total number of persons killed during riots is 15. 74 accused persons were named initially in the 16 cases out of which 3 are named in more than one case. One accused has since died.

The CBI investigation is in progress and all efforts are being made to expedite it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Before we take up this Calling Attention Motion, I would request the Members to ask only pointed questions in order to seek clarifications. Yes, Mr. Shinde, you can start now. Of course, you can have some more time.

श्री सुशील कुमार सभाजीराव शिंदे : उपसभाध्यक्ष महोदय जी, भारत के इतिहास में मानवता को एक महान कलंक लगाया हुआ काम कुम्हेर में हुआ है। मैं नहीं समझता हूं कि जब से मैं राजनीति में आया हूं तभी से मैं देख रहा हूं कि नाम हमारा हिन्दुस्तान है, भारतवर्ष के गुणगान गाते हैं, भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिया है

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे

इंसानियत के नाते इंसान बोल कर रहने का, लेकिन कहीं बेलछी का अत्याचार होता है तो कहीं कुम्हेर का अत्याचार होता है। क्या हम इंसान बोल कर इस देश में रह सकते हैं? हम यह सवाल नहीं पूछ सकते हैं, सवाल रह जाएगा कांग्रेस का या विपक्ष का, लेकिन जिस भारत वर्ष में हम इंसान बोल कर, आपके साथी बोल कर, भाई बोल कर, हम रहना चाहते हैं, इकट्ठा रहना चाहते हैं, क्या इतनी अमानुषता, इतनी क्रूरता, इतनी मानव की भव्य क्रूरता करते हुए आज भी हम कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। मंत्री महोदय, जो ने यह कहा कि 15 आदमियों की हत्या हो गई। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं क्रोनोलोजी पूछना चाहता हूं कि इस भाग में 10 साल से टेंशन है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को यह देखना चाहिए कि जब भी कभी इतना एक एडमिनिस्ट्रेशन में धक्का लगता है बगल के राज में, बगल के जिले में कुछ होता है और होगा ऐसा आगरा में, यही इस भाग में दस साल पहले यह घटना होती रही है और इसलिए मैं विदित करना चाहता हूं कि एक जून को जो वहां संजय थिएटर था, वहां जाटव के चार बच्चे गए। मेरी इन्फर्मेशन है कि वहां टिकट निकाला था वह अथोराइज्ड टिकट होल्डर थे, अन्दर गए। क्या कहा उनको? द्वारपाल कौन था? द्वारपाल वरिष्ठ जाति के लोग थे। उनको मालूम था कि ये जाटवों के लड़के हैं, पैसे लेकर टिकट निकाला है, लेकिन उन्होंने क्या किया? उनको कह दिया कि आपको कुर्सी नहीं मिलेगी बैठने को। आपको जमीन पर बैठना पड़ेगा और वहीं झगड़ा चालू हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई अधिकारपूर्वक वहां थिएटर में टिकिट लेकर जाता है, उसका काउंटरफाइल उसके पास है तभी उससे ये अधिकार छीन लिया जाता है और वहीं से झगड़ा शुरू हो गया, 2 तारीख को इसी बात पर जो कंस्ट्रक्शन पर काम करते थे जाटव, वहीं कुम्हेर के पांचोर विलेज में वहां हमारे 4 जाटव बंधुओं को रोजी नहीं दी गयी। उनसे काम लिया गया, लेकिन कहा गया कि धारा 3 का हमें दम देते हो। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1989 में राजीव गांधी की कांग्रेस की सरकार ने एट्रोसिटीज एक्ट बनाया था और उसमें धारा–3 एक महत्वपूर्ण अंग थी कि दलितों पर कहीं भी एट्रोसिटीज हो जाय तो उसका आधार लेकर उस पर कार्यवाही की जाती थी। तो क्या कहा गया कि धारा–3 का हमें दम देते हो। यह 2 तारीख की बात होगी। तीन तारीख को बस का एक इंसीडेंस हो गयी। तीन तारीख को बस स्टैंड पर बस रुकवायी गयी। यह बताया गया कि लोगों को नीचे उतारा गया और वह जाटव जाति से कोई माता थी, उस पर कुछ गलत कार्यवाही कर दी। बच्चों ने इस तरह बताया। वह विधवा थी। वहां हम भी गए थे। हमारे साथी गौतम साहब थे। हमारा एक सर्वपक्षीय डेलीगेशन गया था जिसमें बूटासिंह जी थे, पासवान जी थे, हमारी बहिन सत्या जी थी और मैं भी कांग्रेस की ओर से जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से गया था। हमने क्रोनोलोजी पर्पजली पूछा कि 3 तारीख को क्या इंसीडेंस हुई? तीन तारीख को यह अफवाह थी और हमारे जाटवों के दिलों में वहां स्वास्थि नहीं थी, सेक्यूरिटी नहीं थी; लोग वहां मारने आने वाले थे। पुलिस ऑफिसर को उन्होंने बताया; वहां चार तारीख को ऐसी घटना हो गयी, कुहेर में। हमारी यह इंफॉर्मेशन है, वह कंफर्म नहीं है। यह सरकार ही बताए। वहां जो नगरपालिका के अध्यक्ष हैं, बी०जे०पी० के शर्मा जी उन्होंने पुलिस को इत्तला दे दी कि कुम्हेर के बड़े मोहल्ले में बम बनाए जा रहे हैं और वहां बम हैं। तो 5 तारीख को इत्तला दी गयी और 6 तारीख को सुबह 5 बजे से पुलिस ने कुम्हेर में आकर दो सौ जवानों को अरेस्ट कर लिया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब इतनी बार दलित वर्गों ने कम्प्लेंट की पुलिस स्टेशन में, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं ली गयी। तीन तारीख को जो इंसीडेंस हो गयी थी, उस पर कोई एक्शन नहीं ली गयी,

लकिन 5 तारीख को जब कम्प्लेंट होती है पुलिस स्टेशन में तब उसका कॉग्नीजेंस लिया गया। उस बड़े मोहल्ले के दो सौ जवानों को पुलिस सुबह लेकर गयी और यह काम सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बज तक चला। उसी वक्त 8-10 हजार की एक बड़ी क्राउट इकट्ठी होकर कुम्हेर की तरफ आ रही थी। जब गांव के सभी जवानों को पुलिस ले गयी थी तो गांव में केवल बूढ़ी औरतें थीं और जानवरों के माता-पिता थे जोकि चल नहीं सकते थे। उनको पुलिस ने बंद कर दिया थाने में। गांव में लाठी, बर्छे और रॉड्स लेकर ये 8 हजार की क्राउड आ रही थी। क्या पुलिस थी वहां? कितनी पुलिस थी मंत्री महोदय हमें बताएं? क्या वह पुलिस आम पुलिस थी या अनाम पुलिस थी? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी पुलिस में काम किया है। बम्बई में, टेलीजेंस में मैंने 6 साल काम किया है। और कोई भी पुलिस में काम करता है, जानता है, जहां ऐसी नेतावनी मिलती है तो हर विभाग में एक इण्टेलिजेन्स डिपार्टमेंट होता है। यहां तो दस साल से टेंशन है, उच्च वर्णीय और कनिष्ट वर्णियों की टेंशन है। पहली तारीख को झगड़ा हो गया था, पुलिस डिटेक्शन ब्रांच और लोकल आई.बी. को पता था कि टेंशन बढ़ रहा है। तीन तारीख को इन्सीडेन्स हो गया, चार तारीख को इन्सीडेन्स हो गया, लेकिन पुलिस की क्या इण्टेलिजेन्स थी? उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं को, उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को, उन्होंने अपनी सरकार को बताया था कि इस तरह का कोई यहां पर हमला होने वाला है?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि 1 और 3 तारीख के बाद जब 4 और 5 तारीख को गांव-गांव में सरपंचों की मीटिंगें हो रही थीं कि यह इन पर हमला करना है तो क्या पुलिस सो रही थी। क्या सरकार सो रही थी? और, जिन में, 45 गांव, हैं, बगल में कुम्हेर के, उनके बारे में सरकार को पता था कि यह जो लोग हैं विशिष्ट श्रेणी के लोग हैं और ऐसे लोग कल कुछ भी कर सकते हैं, सरकार को इसकी मालूमात थी तो क्यों नहीं उसकी कॉग्नीजेन्स ले ली? यह सरकार का पहला काम होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह कितना टेंशन का काम है और जब पीछे दो-तीन बार इस तरह की घटना हो गई है तो आपका इण्टेलीजेन्स क्या कर रहा था? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपके प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे थे यह लोग? गरीबों को प्रोटेक्शन देना और प्रीकॉशनरी मैजर्स लेना, यह क्या सरकार का काम नहीं था?

उपसभाध्यक्ष महोदय, 6 तारीख को इतना बड़ा क्राउड आ गया। गांव में आते ही उन्होंने हर घर को आग लगाने का काम शुरू किया। हमने देखा है, यह घर इतने अच्छे पक्के घर हैं वहां, कुछ पचास परसेंट एरिया ऐसा है जहां झुग्गी झोंपड़ी हैं। हम घटना के चार दिन बाद वहां गए थे। आग जब भी तप रही थी। उतनी गरमी में हम चले गए देखने के लिए। हमें अलग जगह ले जा रहे थे मैं खुद उनको लेकर गया था वहां, आपको भी पता है जो हमारे साथी थे। हमने देखा वहां चार दिन के बाद भी जो मलबा था उसमें मानव की हड्डियां मिलीं, जो आग के अंदर फेंक दिए थे। कौन थे वे लोग? बूढ़े, औरतें। दो सौ लोग जो आज भी मिसिंग हैं। इस सरकार का क्या, यह काम नहीं उन्हें ढूंढने का? कौन ढूंढे? आज भी इतना बड़ा टेंशन है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, 6 तारीख को जो पुलिस वहां तैनात थी, इतनी बड़ी तादाद, जो अभी बताया कि पुलिस वहां बड़ी थी वह आपकी पुलिस क्या कर रही थी वहां? मिलटरी छह बजे रात में आती है। क्या कर रहा था आपका इंटेलिजन्स, आपका पुलिस विभाग? जब उनके पास कोई हथियार नहीं, फायरिंग हो गई वहां। वहां कोई अलग लाउड-स्पीकर से कह दिया, जब कोई मदद देते हो तो कहते हो कि रेवेन्यु ऑफिसर गायब-गायब में घूम गए। इतना बड़ी इन्सीडेंट हो ने वाला हो तो क्यों नहीं दी रेवेन्यु डिपार्टमेंट

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे

मेंट ने इतना शांति रखने की । क्या कर रहे थे आपके अधिकारी वर्ग ?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान लाना चाहता हूं । हमने खुद जगह देखी है । गांव की पंचायत बुलाई थी । वहां पुलिस आफीसर थे, वहां कलेक्टर थे, वहां डी०आई०जी. थे । सभी लोगों के सामने हमने गांव वालों को पूछा । डर के मारे बताने को तैयार नहीं । हम कांग्रेस वाले जरूर थे, सभी वर्ग के थे, , बी.जे.पी. के पार्लियामेंट मैंबर थे, जनता दल के थे, कांग्रेस वाले भी थे, वहां सबके सामने एक साधु महाराज, संत महाराज, जो उस समाज के हैं, उन्होंने कहा—मेरा तो पूरा आश्रम जल गया है, लेकिन मेरी बाजू में रहने वाली जो लडकी है, जिस तरह से उस पर रैप किया, उसकी योनि में रोड डाला, वह डर के मारे कुछ कर नहीं सकते, हम देखने को नहीं गए । सत्या बहिन जी और हमारी मैम्बर पार्लियामेंट, लोक सभा की भी वहां गई थी । . . .

3.00 P.M.

उपसभाध्यक्ष महोदय, इतना अत्याचार लोग हमें बता रहे थे कि इतने उद्वेग में थे कि एक बड़ा लंगडाते हुए आया और वह कह रहा था कि मेरे सामने मेरे बच्चे को जला दिया, छोटा बच्चा था । आज भी वहां गांव में क्या हालत है' पता नहीं, लेकिन थे आपको यह बताना चाहता हूं कि जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, 15 साल पहले "बेलची में" . .

It is the repetition of Belchi. Same incident.

आज भी हमारे दिल में वही अच्छा है, बडी फ्रुडेलिज्म है । गांव में बारात निकले तो यह जो गरीब लोग हैं, जिनमें आज अवेयरनेंस आई है, तो वह बारात नहीं निकाले । मेरे पास रिपोर्ट आई है राजस्थान की और कई और प्रदेशों की मेरे पास रिपोर्ट है । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि कई शहरों में यह दलित वर्ग जो चप्पल डालते हैं, जूता डालते हैं, उनको उस गांव में एंट्री करने के बाद वह चप्पल या जूता अपने हाथ में लेना पड़ता है और बिना चप्पल के गांव क्रास करके फिर उन्हें जूता पहनना पडता है । स्वतंत्रता हासिल करने के बाद हम आज भी यही करते हैं । हमें क्या अधिकार है यह बोलने का कि भारतीय संस्कृति पर हमारा अधिकार है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Now, please ask your questions.

SHRI SUSHILKUMAR SAMBAJI-RAO SHINDE: I am coming to that.

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कितने इसीडेंट्स हो गए हैं, जब से सरकार में बदल हो गया है, जब से विरोधी दल की सरकार आई है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में

atrocities: 1988—4,226; 1989—5,210; 1990—5,210; 1991-92, up to December, 1991—5,347. In the case of Rajasthan: 1988—1,572; 1989—1,588; 1990-1,591; 1991-92, up to December, 1991—2,327. In the case of Uttar Pradesh: 1988—4,755; 1989—5,195; 1990—6,096; 1991-92, up to December, 1990—4,948.

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मर्डर के थोड़े फिगर देना चाहता हूं । उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है । मैं मर्डर के बारे में नहीं कहूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं जब से इस सदन में आया हूं तब से सुन रहा हूं कि भारतीय संस्कृति पर हमें अधिकार है, विश्वास है । सिद्धांतों की बातें होती हैं । आज मुझे डा० बाबा साहेब अम्बेडकर जी की याद आ रही है । डा० बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा कि हिंदू धर्म में रहने का मुझे अधिकार नहीं है । मुझे आमनवीयता से यहां सम्मान मिलता है, जानवरों को भी अच्छा सम्मान मिलता है लेकिन हमें नहीं मिलता है । क्या हम मांग करें दलित-उत्थान के लिए ? इस तरह के इसीडेंटस होते हैं, हम मांग नहीं करेंगे । हम इसलिए नहीं मांग करेंगे क्योंकि हिन्दुस्तान हमारा है, हमारा अधिकार है और अधिकार से हम लेना चाहते हैं ।

लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, हम राम का मंदिर बनाना चाहते हैं। बी० जे० पी० की सरकार में किस तरह के अत्याचार के इंसीडेंस हो गए, मैंने बताया। राजस्थान के नजदीक ही बोर्डर उत्तर प्रदेश में कृष्ण का गोकुल, मथुरा, गोवर्धन और वही भरतपुर, नाम भरत का। उपसभाध्यक्ष महोदय, हम मंदिर बना रहे हैं पत्थर का। अरे, कहां जाएं यह लोग, कौन से राम को ढूंढने यह लोग, कैसे जोड़ेंगे हमारी आत्मा से आपकी सात्विक और सांस्कृतिक आत्मा को ? क्या इस देश में इंसान कह कर झगड़े का अधिकार है ? इसलिए मैं मंत्री महोदय को कहूंगा कि जब तक सरकार कोई इसमें एक्टिव पार्ट नहीं लेती है, एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फेल्योर है और कांस्प्रेसी करके यह काम किया है। क्या हो गया था कि उन्होंने इमीडिएट एक्शन नहीं लिया ? क्या काम कर रही थी आपकी इंटेलीजेंस ? क्या काम कर रही थी आपकी पुलिस ? उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि इतनी हत्यायें होने के बाद भी कांग्रेस की सरकार ने राज्य सरकार भंग करने की बात नहीं की। जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया, स्टे दे दिया तो वह भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। पूरे देश में एक प्रश्न बना हुआ है। यह तो छोटे लोग हैं, इनके लिए कौन मरेगा, कौन कहां राम ढूंढेगा उनमें। और इसलिए ऐसा कृत्य हो गया है। भारत में इसी तरह रावण के कृत्य करने वाले आदमियों को एक तरह की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सी०बी०आई० ने कितने केसेज रजिस्टर्ड किए ? यह फिगर्स कुछ बराबर नहीं हैं। क्या हो गया दो सौ लोगों का और हम चाहते हैं कि इस सदन को मंत्री महोदय पूरी जांच करके हमें बता दें, कि आगे इस तरह के इंसीडेंस नहीं हो पायेंगे। ऐसी सिक्योरिटी, ऐसा विश्वास, ऐसा संरक्षण हम इन लोगों को दें, यही मैं प्रार्थना आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Shri P. Upendra. Pointed questions only.

SHRI P. UPENDRA (Andhra Pradesh): You know, Sir, I am always brief.

It is a very serious incident. So many lives have been lost, so many have been injured and as Shindeji said, hundreds are still missing. Property worth lakhs of rupees has been damaged. It is unfortunate that even after 45 years of independence these atrocities are still continuing and these are the Government's own figures—during 1989 there were 15799 incidents against Scheduled Castes, in 1990 there were 17737 incidents and in 1991 there were 17566 incidents, and the incidents are on the increase. During the last one year—it has appeared in one report—at least 650 persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been killed, more than 1000 women were raped in these incidents. We have this Act, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. In spite of that Act, the acts of social boycott, economic boycott, social blackmail, economic blackmail, are continuing. I only differ from Mr. Shinde particularly when he named certain Governments belonging to a particular party. This is not correct because these incidents have been happening in almost all States, irrespective of the colour of Government.

AN HON. MEMBER: Here that is the Government involved.

SHRI P. UPENDRA: I am not going into details. U.P. is not free from that. Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar, Gujarat and even Andhra Pradesh are not free from these incidents. It was a very serious incident in Guntur, Andhra Pradesh. So, let us not apportion blame to the political parties. But these incidents are happening in various States. We have to analyse these incidents and take corrective measures.

These incidents are happening because, after centuries of oppression, the downtrodden have started assert-

[Shri P. Upendra]

ing their social and political rights, which is not palatable to many of these communities. And it is not always a clash between the SC/ST and the traditional upper castes. Unfortunately, what is happening now is, yesterday's oppressed are now becoming today's oppressors. That is an unfortunate thing. Those who were considered backward people till recently are now becoming the oppressors in various States. That is a new phenomenon which you have to take note of. But here the particular thing is the provocation, the first incident, occurred on 1st June and the major incident of killings took place on 6th June. In spite of the huge presence of the police, 5,000—6,000 people assembled at one place and decided to attack the villages. And in spite of six days' of warning, why the prlice or the intelligence could not take action to prevent this kind of a congregation or take preventive measures to protect these hamlets and villages, that is the failure of the State Government which we have to point out here. A CBI inquiry has been ordered and I don't know what is the progress of that inquiry. The State Government has been prompt in ordering a judicial inquiry on the 7th itself. I don't know if they have named the Judge. I would like to know whether the judicial inquiry in to this has commenced.

Sir, section 3 of the SC and ST Prevention of Atrocities Act of 1989 makes caste offences cognizable and non-bailable and I would like to know whether this section is strictly being applied and action is being taken under this section or not. Similarly, section 21 (4) is also there. All these are very important. According to section 21 (4), an annual report has to be submitted to Parliament but we are not seeing regular reports on such incidents. Except Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and, perhaps, Nagaland—these four States —other States have set up special courts to try these cases. I would like to know what is the experience of these State Governments in regard to these special courts. Are they functioning, are they dealing with such cases? What is actually happening there?

Then, the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is there—ultimately it has been constituted—and they have also given some suggestions to prevent such incidents. What is the action that the Government has taken in this respect?

Then, a special meeting of the Chief Ministers was convened in October 1991 and they also suggested certain measures. The Home Minister should explain whether they are just remaining on the paper or whether any of the recommendations of the National Commission for SC and ST and the Chief Ministers' conference are being implemented or not or what has happend to all these recommendations.

As regards relief, I don't think it is adequate, and measures have to be taken to provide them pucca houses and ample compensation also for the families of those who have been killed. That also we have to ensure. Thank you.

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Sir, it is very difficult to find words to condemn the ghastly incident that had taken place at Kumher in Bharatpur district where a large number of Scheduled Caste people have been killed, houses were burnt and there was rampage at several places.

Sir, torture of and atrocities against the Scheduled Caste and Scheduled Tribes people is not new in this country. They have been taking place for years together. An Act against atrocities on SC/ST women was passed in 1989 Despite that, these atrocities are continuing. There is a report that during the last

one year in these atrocities more than 650 people were killed and 1,000 women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, were raped. By whom? By the upper caste people?

Sir, before coming to the incident proper, I would like to mention that the Government of our country lacks the political will to remedy the situation, to take measures for economic and social upliftment of the down-trodden, the Dalits, the Scheduled Caste people, the Harijans. That is why, in various parts of the country, particularly in the Hindi region this has become an almost daily occurrence. The obsolete social order, the semi feudal order is still being maintained. The rural scene is ruled by the landlords. The agricultural workers, the jatavs, other toiling masses beong to the lower class of people, and the land lords belong to the upper-caste people. Basically it is a conflict between the economic interests of the two classes, but ultimately it takes the form of a caste conflict. It is basically a conflict of the economic interests, but it takes the shape of a caste conflict.

What happened here at Kumher is more ghastly because it has not happened all of a sudden. It started giving a warning on the 1st of June itself. It was there on 1st June, 2nd June, 3rd, 4th, 5th. And the 6th June was a day of climax.

Everyday the situation was worsening, and some incidents were taking place. I wonder, when the Administration got six days to tackle the situation, what it did. What did they do?

Sir, in the statement of the Minister it has been said that on 4th June—I cite one incident—some Jats stopped the drinking water supply to the Jatavs, the people of the lower-caste community. The stopping of the drinking water supply to a section of the people, was an inhuman act, but that was done. I assume that in that part of Rajasthan no administration existed there, that the administration had run away from that place. There was no District Magistrate. There was no other official, and there was no police who could prevent the stopping of the drinking-water supply to the Scheduled-Caste people. Then there was the climax on the 6th. In the statement it has been mantioned tha so many contingents of the police force were sent there, rushed there. How is it possible that, despite the presence of a huge contingent of the police force, on the 6th of June five to six thousand Jats could assemble with arms and then attack the Jatavs, the lower-caste people and kill many of them, drag them out, drag out even the women out of their houses and burn them? What was the police force doing? Was it a show? Was the police there prevented from taking action? The police did not take any action. Actually they played a negative role. So, the district administration and the police administration were silent spectators to what happened there. This is my assumption. Perhaps you will also agree that without the connivance of the administration and the police this type of grisly incident cannot take place when the police force was already posted there. For six days the incidents were taking place. Day by day the situation was worsening, and on the 6th of June it reached the climax when this ghastly incident took place.

I would like to know this from the hon. Minister without going into further details. Already the CBI enquiry has been instituted, and the judicial inquiry has also been instituted. On the 4th of June when the drinking-water supply to these lower-caste people was stopped by the upper-caste people, what did the administration do to prevent the upper-caste people from committing this mischief and to restore the supply of drinking water? That has not been mentioned here. Secondly on 6th the situation reached the climax when several thousands of jats assembled and committed rampage A huge contingent of the police force was posted there.

[Shri Sukomal Sen]

What was the difficulty for the police force in dispersing the mob and preventing them from committing murders? That point has not been stated by the Minister in his statement.

A CBI inquiry has been instituted to go into this incident. We know the Administration and Police officials mostly belong to the upper caste. How far were they responsible for the incident? I would like to know whether the CBI and the judicial inquiry are going into that matter in order to find out if those who have been caught also belong to the Jat and Yadav communities.

Now, I come to the point about the functioning of the Administration. I would like to know whether negligence of duties and connivance in the murder and arson is an offence or not. Will the CBI interrogate the Police and Administration officials to find out how far they connived in this ghastly incident? Will the judicial inquiry instituted by the Government of Rajasthan also go into the role played by the Administration and Police officials? That point also has not been made clear If those in Administration and Police are responsible for this carnage and are not awarded an exemplary punishment, in other parts of the country also the Administration and Police officials will in a similar way connive at this type of conflict and rampage. That is why I say that should be punished severely. I would also like to know whether the Central and State Governments have set any time limit for their inquiries. Unless a time limit is set, the inquiries may go on for a long time. In the meanwhile the same thing may happen somewhere else.

Reports are that this incident started when one Jatav boy bought a ticket for a cinema hall. When he entered the cinema hall, he was caught at the gate and was beaten there by the gate-keeper, who belonged to the Jat community.

He was not allowed to go in. That provoked the whole thing. That also has to be enquired into as to how far it is correct. It is not Kumher alone. We must know what is happening in our country. It is not only in the villages, even in the cities well-educated people move on these caste lines. One Office-bearer of the Punjab and Sind Bank went in a delegation to the authorities for discussions. When the authorities found that one scheduled caste office-bearer was included in the delegation, he was refused a chair to sit. He was flatly told that he could not sit in the chair in their presence. My point is how an officer tries to commit such a mischief saying that a Scheduled Caste cannot take a seat in their front. This shows how the caste feelings are polluting our society. I would like to know while inquiring into this incident and punishing the guilty, whether the Government will find out if the Police and Administration officials were Jats. At the same time, the Government is talking about the upliftment of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people. Even in the last Tirupati session of the Congress party, the Working Committee that was elected in Tirupati was dissolved because there was no representative from the Scheduled Caste or Scheduled Tribes. The Congress party is ruling the country, that is why I have mentioned its name, not with any other purpose I mean how much we are concerned for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people who have not been elected. It is good that they have concern for them. I appreciate your deep concern. I would like to know from the hon. Minister as to how this deep concern is going to be implemented in practice.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mrt. Gurudas Das Gupta, only pointed questions.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset let me put a very straight question and I hope the

Members on the other side will bear with me. I would like to ask whether this atrocity has anything to do with the political complexion of the Government of the State. I would like to know whether it is a fact that the party which runs the Government has in any way provoked the clashes between the higher caste and lower caste people. I would like to know whether it provoked a social strife, confrontation and antagonism that we come across because we are discussing atrocities against *Jatavs. Let us not condemn *Jatavs. When we are discussing atrocities against* Jatavs, we are also witnessing a trail of incidental developments in another part of the country which results in communal strife. Therefore, I would like to ask him whether the political complexion of the Government has anything to do with the incidents that took place there because I should say this is a rarest category of State terrorism, a rarest category of social atrocity. On the day this riot had taken place—the Minister also said that it is not a riot, it is an outrage—before the people belonging to the superior caste armed to the teeth had jumped into the fray, there was a police atrocity for hours together. The police atrocity paved the way for the invasion of the armed things. Therefore, this coincidence of police atrocity to be followed by an atrocity committed by the superior caste people whether it was planned somewhere, whether the police knew that somebody else was going to come after they had finished their job or whether the armed gangs knew before hand that police was there to do the job for themselves, this unique coincidence is really a matter to be explained. Who coordinated this thing? Is there an element of correlation?

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । श्री गुरुदास दासगुप्ता जी का मैं सम्मान करती हूं । इन्होंने अभी एक शब्द का प्रयोग किया है । उस क्षेत्र में इस नाम को गाली समझता जाता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि यह शब्द रिकार्ड से निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "जाटव" शब्द रख दिया जाय ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BAGESH DESAI): That word has to be substituted.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA): I accept it. These people are cobblers by profession. They make shoes.

श्रीमती सत्या बहिन : कोबलर भी वहां नहीं हैं । कोबलर भी नहीं होना चाहिए ।

मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी (उत्तर प्रदेश) : चूंकि जाटों के जरिये जुल्म हुआ है तो जाट और जाटव, दोनों बोलने में एक साथ हो जाएंगे । इसलिए दलित कह दें ताकि जाटों और दलितों को न जोड़ा जाए ।

مولانا عبیداللہ خاں اعظمی : چونکہ جاٹوں کے ذریعے ظلم ہوا ہے - تو جاٹ اور جاٹو - دونوں بولنے میں ایک ساتھ ہو جائیں گے - اس لئے دلت کہدیں - تاکہ جاٹوں اور دلتوں کو نہ جوڑا جائے -

श्रीमती सत्या बहिन : कम से कम कृपया वह शब्द रिकार्ड पर मत रखिये ।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, I understand your feelings. And I honour the feelings. But, at the same time, I would take into consideration the fact that the professional work of this depressed class—whatever may be the name of the

*Substituted as ordered by the Chair.

†[] Transliteration in Arabic Script.

[Shri Gurudas Das Gupta].

community—is seriously jeopardised because of the rat or whatever it may be. You may decide but to pronounce it. But the fact remains that the hard, bread-earning, profession of this particular sect has been affected. The Government has taken no steps to ensure that they are in a position to earn money. They have lost their huts; they have lost all their properties; and they have lost also the means of livelihood. That is very important. And I say that whatever may be your feelings, this section of people have been terrorised and brutalities have been committed because they belong to that section, Harijans and all that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Please seek your clarifications.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: My question is, for how long the atrocity on this totally backward section is going to be tolerated?This is not the first time that we are descussing this, Sir. We discussed this atrocity in Bihar sometime back; we discussed this atrocity in Madhya Pradesh; we had been discussing the atrocities on the unorganised workers in Madhya Pradesh only that day when in just one day's firing, about 15 people were killed. And the same section of people are being attacked in another part of the country. At both the places, we have the same complexion of a political party.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): You have already asked that.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : My third question is this. Is it true that some days before the occurrence, two Government officers—one, an Industrial Extension Officer and the other, a Forest Guard—belonging to the backward caste, had gone to the police station to lodge a complaint that something was in the offing, an attack was being planned? The police officer did not take cognizance of the complaint. Not only that. They were brutally beaten up. I know these people. When a delegation from my party had visited that place, these two people had come and met the delegation. The delegation was shown the places of injury. It is all the more reprehensible because it is Government officers who had complained. The only fault on their part is, they belong to the same caste. Therefore, the police officers, belonging to a superior caste did not take cognizance of that complaint. This is the law we are having. Is this true? This is my third question.

My fourth question is whether it is true that none of the officers, against whom there are serious complaints of dereliction of duty, has been booked. They have only transferred them. What is the use? They are still a part of the administration. If they are a part of the administration in any part of the State, they may be responsible for similar brutalities again. Therefore, till they are exonerated by the CBI or in the judicial inquiry, you should not make them a clog on the wheel. They must be removed from important administrative jobs. If you do not do it, how are you going to create confidence in the mind of the victims who are the mute majority in the country? The higher caste is not the majority. If they do not have any sense of justice, if the victims believe that they are being denied justice, then, as a result of the alienation, a serious situation in the country may emerge. Therefore, my fourth question is, will the Home Minister take the trouble of informing the BJP Government, in all sense of propriety, that these people should not hold important administrative posts till they are exonerated?

My fifth question is....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Last question.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: (a) part of my last question is,....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): No. I cannot allow.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I am not taking much time Sir, I am not taking much time. Today, there was a *Dharna* at Boat Club. (*Interruptions*)

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश) : दूसरे विषयों पर इतना टाइम लेते हैं । यह गम्भीर मसला है, इस पर बोलने दीजिए । (व्यवधान) यह कोई गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट नहीं है । यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : एक घंटा हो गया और 17 बोलने वाले हैं ।

श्री अजीत जोगी : अनुसूचित जाति पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ है और आप बोलने नहीं देना चाहते हैं, इस पर बोलने दीजिए **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : मेरी बात सुनिये ।
I cannot allow. This was decided in the Business Advisory Committee.... (*Interruptions*)

श्री अजीत जोगी : दूसरे विषयों पर यहां हल्ला करने में घंटों निकाल देते हैं **(व्यवधान)**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय उत्तर प्रदेश) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । **(व्यवधान)** श्री जोगी जी ने कहा है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं । लेकिन आप रिकार्ड देख लें सीधे सीधे चेयर पर यह आरोप है । मेरा आपसे निवेदन है कि आप यह डायरेक्शन दें कि रिकार्ड पर न आए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): This was decided in the BAC and I was there. 1/1-2 hours' time was allotted for this purpose. Four speakers have spoken so far. The total number of speakers, who want to speak on this, is sixteen. Four speakers have already consumed one hour. Do you think that I should prolong it for four hours? I can give time and you ask pointed questions. (*Interruptions*) Then, in that case, what is to be discussed should have been mentioned. (*Interruptions*) I cannot do it. I have my own limitations. (Interruptions)

SHRI AJIT P. K. JOGI: If it was a statement by the Home Minister, we would ask pointed questions... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I will not allow. I have my own limitations. (*Interruptions*)

SHRI AJIT P. K. JOGI: Kindly give your ruling on this. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): It was decided in the Business Advisory Committee and 1/1-2 hours' time was allotted for this purpose. One hour is already over and only four speakers have spoken so far. Sixteen Members have to speak. Do you think that I should go on like this? (*Interruptions*)

Sixteen Members are there who want to speak. It is not that only Mr. Jogi is there. I have to take care of all of them. (*Interruptions*)

SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM:*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I don't want this kind of comments. This kind of remarks will not go on record. (*Interruptions*) The House cannot be run like that. It has to be run according to the wishes of the BAC. Yes, Mr. Gurudas Das Gupta, last point.

*Not recorded.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I shall not be off the mark. I belong to the upper caste. (*Interruptions*). I submit, because I belong to the upper caste, I have a sense of humiliation. I feel molested by them. My conscience feels molested because the so-called upper caste has been responsible for the train of incidents. I feel myself molested.

Lastly, those people had some profession. They may be making shoes or they may have something to do with animal skin. They have lost everything. Their houses have been burnt. The most important point which I would like the House to consider is that these labourers are not being given jobs and atrocities on them are still continuing. The people who can give jobs to them whether in farming or in contract work, all belong to the higher castes. The higher caste people have virtually boycotted these labourers belonging to the lower castes. They don't have anything to eat. We do not want these people to be beggars, to be at the mercy of the Government doles. I would like to know whether the Government will take steps to break this boycott and compel the contractors and zamindars, by dint of law, to take the services of these people who have suffered atrocities at their hands and who unfortunately belong to the lower castes.

The second part of my last question is that they have given very little relief. The people who have died have been given Rs. one lakh. The people who have not died but have suffered grievous injuries... That is the differentiation we are making—the family of a person who died gets Rs. one lakh, but a person who has been totally incapacitated because of the serious injury has been given a paltry sum of Rs. 3,000/-. A man who has the misfortune of still living is being denied for the second time by the Government and the blindness of the Government—whether Central or State, I don't know, Sir. This is a blindness. This is the role of abettor. This is the role of abettor. Therefore, part (b) of my question is this: when the Prime Minister's Relief Fund has been generous towards the victims of firing in Madhya Pradesh, why cannot the Prime Minister be generous with regard to the victims of the social riot in this part? I want the Prime Minister's Relief Fund should give them at least Rs. 50,000/- ..... (*Interruptions*).... Part (c) of my question is... (*Interruption*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): This is very unfair.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Last sentence...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): This is very unfair.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Last sentence. Since the situation there is still grave, I implore the Government to sponsor an all-party delegation. Sir, there must be an equation between your profession, promise and your practice. Therefore, don't leave everything to the BJP Government. Don't leave everything to them. Don't rely on the report. Let there be a delegation, if you are serious. Let there be an all-party delegation, either formal or informal, either accompanied by the Minister of State or not accompanied by the Minister of State. I feel equally bad because you cannot be under the impression that everything there will be done according to the law by the Government elected there. They are not doing, they are not moving according to the law. Therefore, nobody is arrested. The people who have been named have not been arrested even after on and a half months. Where is the law? Do you believe, Sir, the people will obey the law if you violate the law in any part of the coun-

try? If they do not implement the provisions of the Indian Penal Code, then what is the obligation on the part of others to conform to the provisions of the law in other parts of the country? Not one or two person have been arrested. The real leaders, real leaders of the genocide,—I call it 'genocide'—have not been arrested. Therefore, when are they going to be arrested? How is their arrest going to be ensured? Does the Government consider it necessary to send a delegation there? If we send a delegation, that will give a signal to the Government there; otherwise, the Government there will sit tight and send you all fabricated reports.

श्री अनन्त राम जायसवाल (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं शुरू में ही गृह राज्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो वक्तव्य उन्होंने दिया है क्या वह राजस्थान सरकार द्वारा भेजे गये वक्तव्य के आधार पर दिया है या माननीय मंत्री जी ने खुद अपनी तरफ से जांच पड़ताल करने के बाद में वक्तव्य दिया है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): He asked question whether this is based only on the report of the U.P. Government or you have made any inquiry.

SHRI ANANT RAM JAISWAL: He doesn't care to listen to me.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): No, no; he has gone there.

SHRI M. M. JACOB: I have made it clear in my statement earlier also. That is based on the report of the U.P. Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): What he wants to know is whether you have made any inquiry.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: What is the source of information?

SHRI V. NARAYANASAMY: There are two reports, one the Rajasthan Government report and the other your report. Which report is correct, that is the point here.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I formulate my question: whether this report is made on the basis of the report submitted by the State police or you have your own source of information or it is a combination of the two reports.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): No; it is based on the State Government report. But what he has asked is whether the Central Government have made any inquiry to find out whether their statement is correct or not... (*Interruption*)...

श्री अनन्त राम जायसवाल : यह सवाल उठाने का मेरा मतलब इसलिए था कि जो वक्तव्य आया है उसका झुकाव साफ तौर से जाटवों के खिलाफ और जो अतातायी जाट हैं उनके पक्ष में है। यह झुकाव साफ तौर पर है। मिसाल के तौर पर इसमें कहा गया है कि जो नौजवान जाटव सिनेमा के लिए गये वे बगैर टिकट गये। लेकिन घटना स्थल पर जाकर मुझे खुद लड़कों ने जानकारी दी और उन्होंने बताया कि वे टिकट लेकर गये थे तथा उन्होंने उन टिकटों के काउंटर पार्ट के या टिकट के भी फोटो स्टेट कराकर अपनी रिपोर्ट जो थाने में दाखिल की उसके साथ दाखिल किये। तो इससे साफ लगता है कि झुकाव दूसरी तरफ है और फिर गुरुदास दासगुप्त जी के आरोप को भी बल मिलता है कि क्या राज्य सरकार भी इसमें शामिल है ? यह इनको बल मिलता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जरा आप इसे गौर से देखिए घटनाक्रम से। पहली घटना पहली तारीख को होती है। जब कुछ जाटवों के लड़के टिकट ले कर सिनेमा देखने जाते हैं। गलती उनकी क्या है कि उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया। फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर इच्छा थी कि फर्स्ट क्लास की कुर्सियां जो उसके

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

लिए हैं उन्हीं पर वे बैठे । वहां पर उनको बैठने नहीं दिया गया । उनको बाहर निकाल दिया गया । उन्होंने मैनेजर वगैरह से शिकायत की उस पर कुछ नहीं हुआ बल्कि उनको पीटा भी गया । थाने गए, वहां उन्होंने रपट दर्ज करा दी । यह पहली तारीख की घटना है । इस घटना से 6 तक पहुंचते-पहुंचते करीब-करीब एक हफ्ता लग जाता है । इस एक हफ्ते में प्राय: रोज कोई न कोई ऐसी घटना जरूर होती रही है जिससे यह पता चलता था कि कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है । इसमें जरा भी शक नहीं रहता । मिसाल के लिए इन जाटों में मतलब जाट लड़कों में रिएक्शन क्या हुआ ? रिएक्शन यह हुआ कि इन्होंने जलूस निकाला कुछ नारे लगाए लेकिन इसी के साथ यह खबर फैलाई गई मैं यह कहना चाहता हूं कि जान-बूझकर यह समाचार फैलाया गया अफवाह फैलाई गई कि बस पर जो हमला हुआ है उसमें स्त्रियों के साथ ज्यादती की गई है । यह बात फलाई गई । क्योंकि इस का कोई सबूत वहां पर खास तौर से नहीं मिलता है और जो बात थी तो वह मौके पर जब बात होती है तो उसमें सब चीजें खुल जाती हैं । उससे लगा कि यह गढ़ी हुई है और इसको उत्तेजना फैलाने की नीयत से किया गया है । तो यह बात फैलाई गई कि कुछ महिलाओं के साथ भी इन जाटवों ने ज्यादती की जो प्रदर्शन निकाल रहे थे या बस पर जिन्होंने हमला किया था । नतीजा है कि जो गर्मी फैलनी है वह तो फैल ही रही थी तो फिर 3 तारीख को भी घटना होती है कि कुछ मजदूर अपने काम से लौट रहे थे उनको मारा गया । उसकी रपट लिखाने की कोशिश की गई वह लिखी नहीं गई । तब सड़क जाम होती है । सड़क जाम के बाद वहां पर कप्तान साहब आते हैं । तब रिपोर्ट दर्ज की जाती है और 4 तारीख को जाटवों का पानी ही काट दिया जाता है । फिर 5 तारीख को भी पानी काटा जाता है । साथ ही साथ, जाटवों की बस्ती में आग लगा कर उनके 35 घर फूंक दिए जाते हैं । एक दूसरी जाटव बस्ती में ये लोग फाइरिंग करते हैं जाट लोग । इस गांव में भी यहां पर यह कुम्हेर है तो कुम्हेर में भी फाइरिंग होती रही जाटवों को आतंकित करने के लिए और दूसरी बस्तियों में भी होती रही तथा ये घटनायें बराबर होती रहीं ।

मान्यवर, मेरा पहला सवाल है कि जब इस तरह की घटनायें होती रही हैं तो रोकथाम की कोई कार्यवाही की गई जिससे यह घटना न हो और सार्वजनिक शांति भंग नहीं हो ? इसको रोकने के लिए क्या कोई उपाय किया गया ? अगर उपाय नहीं किया गया तो क्या मंत्री जी इस चीज को ध्यान में रखकर, मतलब जो है वहां के लोगों के साथ जो जांच चल रही है अलग-अलग तो उसमें इसको भी ध्यान में रखा जाए, इसके लिए कार्यवाही करेंगे ? दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि इन घटनाओं को ले करके जाटों ने गांव-गांव पंचायत की और चार तारीख से पंचायतें शुरू हो गई । जब चार जून से ये पंचायतें शुरू हो गई थीं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि पुलिस या रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों की जानकारी में यह बात न आई हो ? जहां तक मुझे मालूम है जब यह पंचायत हो रही थी बडी तो उसकी सूचना 5 तारीख को ही पटवारी ने तहसीलदार को दी । तहसीलदार ने उसको पास आन कलेक्टर को किया और कलेक्टर ने शायद कुछ भी कार्यवाही की हो, यह मेरी जानकारी में नहीं आया, लेकिन यह जानकारी वहां के अधिकारियों को थी कि इस तरह की खिचडी पक रही है । फिर जो है 6 को जब वह आए हैं तो ऐसा नहीं है कि चोरी-छिपे से आ जायें ट्रैक्टर में भर कर आए हैं और सलाह के साथ आए हैं ।

और जब वह इस तरह से आ रहे हैं, तो उपाध्यक्ष महोदय वहां पुलिस है, एक टाउन एरिया कमेटी है, तहसील हैडक्वार्टर है और थाना है और हमें सूचना मिली है कि आसपास के स्टेशनों से भी फोर्स मंगा ली गई थी । फिर वहां राजस्थान आर्म कांस्टेबलरी के लोग भी मौजूद थे और भी बडे अफसर वहां मौजूद थे तब वहां 5-6 हजार आदमी आ जाएं और पूरे गांव में एक साथ बस्ती को

फूंक दिया जाय, लूटमार होने लगे, कत्ल होने लगे, तो इससे भी ज्यादा कोई उचित केस था जिसमें कि फायरिंग की जाती । जब लोग लूट रहे थे, जान से मारे जा रहे थे, घर जलाए जा रहे थे तो यह सबसे ज्यादा उचित केस था जहां पर कि फायरिंग ओपन करनी चाहिए थी, लेकिन वहां न तो कहीं आंसू गैस का पता है । उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस को तो एक कंकडी भी लग जाती है किसी इंसीडेंस में तो वहां पर गोली चल जाती है, पर इतनी बडी घटना हो जाए, जहां कि निर्बल वर्ग के लोग, जाटव लोग मारे जा रहे थे, लूटे जा रहे थे और उनके घर जलाए जा रहे थे, लेकिन वहां पर न तो आंसू गैस छोडी जाती है और न कहीं फाइरिंग की जाती है । मैं जानना चाहता हू कि क्या मंत्री जी का ध्यान इस तरफ गया है ? उपाध्यक्ष महोदया, हम को वहां बताया गया कि वहां का डी०एस०पी० हरिजन था, उनका संबध हरिजन जाति से था, शायद वहां के कलेक्टर भी अनुसूचित जाति के ही थे उस वक्त, लेकिन वहां के एडीशनल एस० पी० के बारे में शिकायत है कि वह जाटव थे और उन्होंने इन घटनाओं को बल दिया । उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आजकल कलेक्टर, तहसीलदार वगैरा का कोई मतलब नहीं रह गया है क्योंकि इनके हाथ में पुलिस है ही नहीं । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कितने कलेक्टरों को रोते देखा है ।

They were actually in tears while narrating how they were treated by S. P.

यह हमसे बात की है लोगों ने । तो असल बात यह है कि उनके बस में तो कुछ है नहीं । इस तरह की यह घटना हो रही थी और वहां पर चीफ सक्रेटरी मौके पर आ गए, वहां कप्तान मौजूद थे, वहां कलेक्टर मौजूद थे और यह सारी घटना हो रही है, लेकिन पूरी घटना में आप देख लीजिए कि रोकथाम के लिए कोई कार्यवाही नहीं है, बिल्कुल नदारत है, मूक-दर्शक बने हुए हैं और 7 तारीख को तो क्लाइमैक्स हो जाता है । सात तारीख को यहां राजस्थान के स्टेट मिनिस्टर माननीय दिग्विजय सिंह खुद मौजूद थे और 7 तारीख को भी कत्ल हो जाता है जिसमें कि 4 आदमी मारे जाते हैं । तो यह सारा मामला एकतरफा है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मरने वालों में 15 आदमी बताए जाते हैं और मैं मानता हूं कि वह बात सही होगी क्योंकि हर मरने वाले के आश्रित को एक लाख रुपया दिया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान जैसे गरीब देश में यह रकम मामूली नहीं है मतलब यह है कि अगर इतनी रकम मिले तो जिसका आदमी मरता वह क्लेम के लिए जरूर हल्ला मचाता, लेकिन इस तरह का कोई हल्ला हम को वहां सुनने को नहीं मिला । इसलिए मैं मानता हूं कि 15 आदमी वहां मारे गए । पंद्रह बेशकीमती जानें वहां गयीं । . . . (**व्यवधान**) . . . कुछ बताते थे कि 4 लोग मिसिंग हैं, लेकिन वह मिल गए हैं, अइडेंटीफाय हो गए हैं । यह वहां पर बताया गया है और अगर आपको कोई जानकारी हो तो जोड़ दीजिए । मैं विश्वास करता हूं कि यह तादाद छिपायी नहीं जा सकती, खासकर उस वक्त जबकि उनको इतना बडा मुआवजा मिल रहा हो ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक और बात यहां पर ध्यान देने वाली है कि जाटव आम तौर पर खेत मजदूर हैं और जाट जोतदार किसान हैं । उनको अपने खतों पर काम करने के लिए खेत मजदूर चाहिए । जाट और जाटवों के इस तरह के आर्थिक संबंध हैं, लेकिन इनके संबंधों की जगह निहित स्वार्थों ने ले ली है । अब यह निहित स्वार्थ घृणा में बदल गया है । वे कभी नहीं चाहते कि जाटव लोग बराबरी में आ जायें । यहां के जाटों की विशेषता यह भी है कि इनमें से कुछ खेती भी अच्छी करते हैं । फिर इनके हाथ में पटाखे बनाने का हुनर है और उससे इनको एडीशनल इनकम भी होती है । ये वेल अॅफ भी हैं । इनके घर वगैरा देखकर लगता है कि ये सचमुच वेल अॅफ हैं ।

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

यह सचमुच वेलआँफ हैं, पढाई लिखाई में भी । यह चीज जो है जमी नहीं वहां के सवर्ण लोगों को, खासकर के जाटों को, जहां खेत मजदूर और किसान का संबंध है । यह चीज है, आप पूरी इस पट्टी में चले जाइए । अभी महराना में आपने देखा, यह जो मथुरा के पास हुआ कि दो जाटव नौजवान और एक जाट की लडकी, तीनों को दिन दहाडे फांसी लगा दी गई पंचायत करके । इस तरह का अंधेर होता है, जैसे कोई कायदा कानून ही नहीं रहा । यह सब आपके पडोस में ही हो रहा है, आगरा में देखिए, खाली इतना कि वहां जाटव लोगों ने उस बस्ती से बारात निकाल दी, जहां पहले नहीं निकला करती थी, जाटवों में दस्तूर नहीं था । इस तरह आप देखिए कि बलवा हो जाता है । कोई इतना बड़ा प्रोवोकेशन भी नहीं है, जिसकी वजह से इतना बड़ा कांड हो जाए । मामूली-मामूली बात पर इतना बड़ा कांड हो जाता है । इसमें मान्यवर, आर्थिक सवाल जुड़ा है, सामाजिक सवाल जुडा है । यह बदकिस्मती है हमारी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में यह हो रहा है । जात के बधन जो गांधी जी की अगुवाई में थोड़े ढीले हुए थे, अब वह बहुत ही कट्टर बनते जा रहे हैं ।

मान्यवर, एक चीज मैं कहना चाहता हूं इस माननीय सदन में और पूरे जोर के साथ कहना चाहता हूं कि जब-जब जांत के बंधन ढीले हुए है तब-तब इस देश की तरक्की हुई है, देश ऊपर गया है । चाहे आप गांधी जी का युग देख लीजिए, चाहे चाणक्य का युग देख लीजिए । यह गौतम बुद्ध की देन थी । लेकिन, जब-जब जांत के बंधन कट्टर हुए हैं तब तब यह देश अवनत हुआ है आज हम उसी हालत में है । आज यहां देखो, वहां यह चीज हो रही है । इसलिए मैं सब साथियों से विनती करना चाहता हूं, खासकर के जो उधर बैठे हुए भाई है उनसे, कि अगर आप देश को गौरव के स्थान पर ले जाना चाहते है, जैसा आप कहते है, रोज नारा लगाते है, तब फिर यह वर्ण व्यवस्था में जो आपका विश्वास है इसको आपको कम करना पड़ेगा, जातीय कट्टरता को ढीला करना पड़ेगा । यह मेरा सारे साथियों से कहना है कि जैसा गांधी जी के वक्त में जो जात का बधन ढीला हुआ था उसके लिए चाहे एक आंदोलन चलाना पड़े, लेकिन इस काम में हम लोगों को जुट जाना चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन की मार्फत जो सवाल माननीय गृह मंत्री जी के सामने रखे हैं, मुझे उम्मीद है कि जब वह अपना जवाब देंगे तो उन सवालों का भी उसमें ध्यान रखेंगे । बहुत-बहुत आपको धन्यवाद ।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, उपसभाध्यक्ष महोदय, आदरणीय जायसवाल जी ने मेरा वजन बहुत हल्का कर दिया और उन्होंने कुछ तथ्यों पर प्रकाश डाला । मुझे गृहमंत्री जी का वक्तव्य पढ कर दुख हुआ और मैं इसे राज्य सरकार द्वारा दिया गया वक्तव्य या भेजा गया वक्तव्य नहीं मानता । गृह मंत्री जी ने चूंकि कहा है कि वह 15 तारीख को कुम्हेर गए थे और उन्होंने सारी सिचुएशन को असेस किया, लिहाजा मैं उन्हीं का यह बयान मानता हूं । उनका यह बयान पढकर मुझे अत्यंत दुख हुआ कि किस प्रकार से इसमें तथ्यों को झुठलाया गया है ।

मान्यवर, जायसवाल जी ने वहां का केवल एक हवाला दिया । इसमें तो सारा आरोप उन जाटवों पर लगाया गया है । इस वक्तव्य से ऐसा आभास होता है कि इस सारे कांड के लिए वे जाटव ही दोषी हैं । मैं विनम्रता के साथ पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, एक देश-भक्त के नाते एक बात कहना चाहता हूं कि यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग इस देश में हजारों सालों से शोषित हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, तिरस्कृत है, बहिस्कृत हैं, अपमानित हैं, गरीब हैं और जुल्म और अत्याचार के शिकार हैं इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि इस देश की व्यवस्था में इनको कोई अधिकार नहीं मिला, केवल कर्तव्य मिला । यह इस कर्तव्य का पालन

वफादारी से, देश की सेवा, देश के निर्माण में मानव मूल्यों को बनाए रखकर करते रहें । लेकिन, उसका भी सिला जब इन्हें पूरा नहीं मिला और इन्होंने जब सिला मांगा तो इन पर इस प्रकार के जुल्म और अत्याचार ढाए गए । मैं क्षमा चाहूंगा, अपने भाइयों से, कि यहां पर विभिन्न धर्मों के साम्राज्य बदल गए । मुसलमानों का भी राज आया, उन्होंने भी इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, उन्हें भी दया नहीं आई इस व्यवस्था को बदलने में, ईसाइयों का राज इस देश में रहा, सिखों का राज रहा, लेकिन व्यवस्था पर चोट किसी ने नहीं की । . . .

4.00 PM

व्यवस्था पर चोट हुई तो 1844 के बाद, जब देश में महर्षि दयानन्द का मूवमेंट चला, आर्य समाज वैसा मूवमेंट चला, ब्रह्म समाज का मूवमेंट चला, विवेकानन्द जी आए, पेरियार रामस्वामी नायकर जी आए, बाबा साहेब डा० अम्बेडकर आए, गांधी जी आए और जब इन सब बातों को इन्होंने गंभीरता से सोचा-विचारा तो निर्णय लिए, संविधान में प्रावधान बने और इसीलिए यह संकल्प लिया गया कि इस अभिशाप को समाप्त करने के लिए और हम कारगर कदम उठाएंगे, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि शासन तो समानता अनेक बदले लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ । मैं अगर सारे आंकड़े पेश करूंगा तो बड़ा समय लगेगा । सरकार चाहे किसी पार्टी की रही हो और मुझे खुशी है कि यहां पर लोगों ने किसी दल की बात नहीं कही है । मैं स्वयं किसी दल की बात नहीं कहूंगा । आपको ज्ञात होगा कि बिहार में पिपरा कांड हुआ, बेलची कांड हुआ, 50-50 आदमी अनुसूचित जाति के मारे गए, कांग्रेस का राज था । जब जनता दल का राज है,—बारसवीघा कांड हुआ, गया कांड हुआ । उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में कांड हुआ, 7 आदमी जिंदा जलाए गए ।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान के बारे में भी बोलिए ।

श्री संघ प्रिय गौतम : अभी बोलता हूं सुनिए तो । . . . **(व्यवधान)** . . .

श्रीमती सत्या बहिन : राजस्थान का नहीं बताया ।

श्री संघ प्रिय गौतम : वह भी बताऊंगा जरा शांति रखिए । . . . **(व्यवधान)** . . . अल्मोड़ा में कफलटा में 16 आदमी जिंदा इसलिए जला दिए गए कि दुल्हा बारात लेकर, सैंडयूल्ड कास्ट का, मंदिर से होकर निकल रहा था । आदरणीय श्री वी० पी० सिंह साहब मुख्य मंत्री थे यू०पी० के, देवली कांड हुआ, 27 आदमी काट दिए गए । तेलगु देशम की हुकुमत थी, चांदापुरा कांड हुआ, 20 आदमी मारे गए । आन्ध्र प्रदेश में अभी पिछली बार 28 आदमी मारे गए । तेलगु देशम की हुकुमत थी, 13 आदमी मारे गए । कर्नाटक के अंदर टट्टी खिलाई गई । आपके गुजरात के अंदर जब आरक्षण विरोधी अभियान चला तो स्वयं कांग्रेस के एम०पीज० के कारखाने जलाए गए । जग-प्रसिद्ध मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का आन्दोलन चला, महाराष्ट्र के अंदर दलितों के घर जलाए गए, उनकी आंखें निकाली गई, मारा गया । माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहता हूं कि कोई राज्य या सरकार ऐसी नहीं बची कि जहां दलितों पर जुल्म और अत्याचार न हुआ हो । मैं तो इस सदन से पूछना चाहता हूं कि यह जो भयानक कांड राजस्थान में हुआ, मैं स्वीकार करता हूं कि यह बड़ा घिनौना और निन्दनीय कांड था, लेकिन पहले मैं सदन से यह पूछना चाहता हूं कि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या केवल थोथे आंसू बहाने के लिए है क्या औपचारिकता पूरी करने के लिए है ? अगर केवल ध्यान आकर्षित ही करना है तो वह तो मशीनों से समाचार-पत्रों ने कर दिया है । विभिन्न दलों के, संस्थानों के जो शिष्ट मंडल गए हैं, उनके वक्तव्यों ने कर दिया है । हम यहां केवल रस्म-अदायगी के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहां इसलिए बैठे हैं कि क्या इन कांडों को रोका जा सकता है ? क्या अपराधियों को सजा दिलवाई जा सकती है ? क्या इस देश के अंदर भाईचारे का वातावरण पैदा किया जा सकता है ? पिछले कांड मैंने इसलिए दोहराए कि किसी जालिम को सजा नहीं हुई । कफलटा में सब बरी हो गए, देवली में किसी को सजा न मिली, आंध्र में सिंदूर में कोई गिरफ्तार नहीं हुआ और यह

[श्री संघ प्रिय गौतम]

जितनी न्यायिक जांच होती है और सी०बी०आई० की जांच होती है, क्योंकि मैंने वकालत की है और 30 साल तक व लीडिंग एडवोकेट रहा हूं, मैं उनके रिजल्ट भी जानता हूं--उनका रिजल्ट होता है मुलजिमों का छूटना। मैं ज्यूडिश्यरी पर आरोप नहीं लगा रहा, मैं अनुभव से तथ्य बता रहा हूं कि अपराधियों को जमानत देना और सरकारी निर्णयों व निर्देशों के खिलाफ स्थगन आदेश देना, यह ज्यूडिश्यरी का एक शौक बन गया है आज और इसलिए किसी को सजा नहीं मिल पाती।

मान्यवर, मैं तीन-चार प्रश्न पूछना चाहता हूं जो इस स्टेटमेंट से निकलते हैं। . . . (*व्यवधान*) . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देशाई) : आप प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री संघप्रिय गौतम : जी, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं ।

वहां की सरकार ने पिछली सरकारें जिस ढंग से कार्रवाई करती आई हैं, मुझे खुशी है कि तुरन्त कार्रवाई की और मुआवजा भी दिया। लेकिन इस मुआवजे और कार्रवाई से अपराधियों को सजा मिल जाएगी? नहीं मिलेगी । इसमें चार तथ्य बिल्कुल सामने हैं ।

पहला, यह कि कुम्हेर में स्थित पैट्रोल पम्प से पैट्रोल लेकर आग लगायी गयी । सारे गांव के चारों तरफ आग लगाई गई, घरों में लगाई गई । क्या पैट्रोल पम्प आग लगाने के लिए होता है? बन्दूक का लाइसेंस मिलता है अपनी सुरक्षा के लिए । यदि बंदूक डकैती में चले तो लाइसेंस भी जब्त होता है और मुकदमा भी चलता है । क्या गृह मंत्री जी, आपका पैट्रोलियम मंत्रालय इस पैट्रोल पम्प का लाइसेंस रद्द करेगा? जिस पैट्रोल पम्प के मालिक ने पैट्रोल दिया है, क्या आप उसको मीसा में, टाडा में या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद कराएंगे? यदि नहीं बंद कराएंगे तो किसी अपराधी को सजा नहीं मिलने वाली है। . . . (*व्यवधान*)

Please have patience.

मेरे अंदर आपसे ज्यादा जज्बात हैं मैं भुक्तभोगी हूं । मैंने जीवन भर इस समाज की लड़ाई लड़ी है । आपको मालूम है . . . (*व्यवधान*)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देशाई) : सत्या बहिन, बोलने दीजिए उनको ।

श्री संघ प्रिय गौतम : मैंने अपना सारा परिवार खो दिया है । मुझे इन्होंने भावुकता में ला दिया है । मेरे फादर की डैथ हुई, मैं आंदोलन में था। मेरी मदर की डैथ हुई, मैं आंदोलन में था। मेरा ऑनली नैफ्यू मरा, मैं मीटिंग में था । मैं 6 दिसम्बर 1965 को बम्बई में मीटिंग में था, तब मेरी पत्नी का अपहरण हुआ और यहीं उसकी विठ्ठलभाई पटेल हाऊस में हत्या हुई । मेरे दो नन्हे-नन्हे बच्चे रहे । एक लड़की मैंने पढ़ाई-लिखाई बच्चों को मैंने पाला, बच्चे मेरे एक्सीडेंट में मर गए । केवल इन्हीं कारणों से । मेरी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाइये । मैंने जिंदगी भर इस समाज की लड़ाई लड़ी है । मैं समस्या का समाधान चाहता हूं । इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इस समय उसके पैट्रोल पम्प का लाइसेंस रद्द हो जाए और उसको मीसा में बंद कर दिया जाये तो क्या यह कांड प्रिवेंट नहीं हो सकेंगे?

मान्यवर, लिखा होता है कि ट्रैक्टर-ट्रोली कृषि कार्य के लिए होते हैं । बारात ले जाने के लिए नहीं होते हैं या घरों में आग लगाने के लिए नहीं होती । तो जिन ट्रैक्टर-ट्रोली के मालिक तीन गांवों के हैं और खास तौर से पैनगोर गांव के जहां पर तीन दिन मीटिंग हुई, क्या उनके ट्रैक्टर-ट्रोली जब्त किये जाएंगे? क्यों नहीं किए गये और उनके मालिकों को मीसा में क्यों नहीं बंद किया गया? क्या ऐसा किया जाएगा?

तीसरी बात, मैं पुलिस निलम्बन को कोई कार्रवाई नहीं मानता । पुलिस वाले चाहे बीम थे,

यह मैंने माना । राजस्थान में पुलिस कम है और मैंने यह भी माना कि उस क्षेत्र में पुलिस ज्यादा लगी है । लेकिन में आपसे पूछना चाहता हूं जैसा जायसवाल जी ने कहा, वह बात उन्होंने छोड दी । इतनी बड़ी भीड़ आग लगा रही है, आदमियों को मार रही है तो पुलिस वालों ने गोली क्यों नहीं चलायी ? पैरों में ही गोली मारते, हाथों में गोली मारते । तो इससे क्यों न यह निष्कर्ष निकाला जाए कि यह पुलिस वाले भी उसमें शामिल हैं । इसलिए उन पुलिस वालों के खिलाफ लूट, कत्ल और आगजनी के मुकदमे कायम करके क्या उनको जेल भेजा जाएगा ? क्या मंत्री जी, ऐसा करेंगे? यदि यह कर दिया जाए तो फिर इन कांडों की पुनरावृत्ति नहीं होगी ।

अब चौथी बात मैं कहना चाहता हूं । वह तो बहुत बड़ी बात है, वह तो शायद नहीं कर पाएंगे । लेकिन दो पुलिस वाले जब किसी गांव में जाएं और दो पुलिस वालों को पीटकर गांव वाले घर में बंद कर लें तो अगले दिन सारे जिले की पुलिस इकट्ठी होकर सारे गांव को मारती है । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस बिरादरी और जिस गांव के लोग कांड में शामिल हैं, क्या इन पर सामूहिक जुर्माने किए जाएंगे ? इनको सम्पत्ति कुर्क की जाएगी, जिससे यह या दूसरे लोग दोबारा ऐसा काम न करें । अब अंतिम सवाल है— समाज सुरक्षा का । आज से कुछ दिन पहले एक "विलेज डिफेंस स्कीम" चली थी । गांव के प्रधान को या विशेष व्यक्ति को गांव की सुरक्षा के लिए बंदूक का लाइसेंस दिया जाता था और बन्दूक खरीदने के पन्द्रह सौ रुपया भी दिया जाता था । यह अनुसूचित जाति के लोग और जाटव लोग खास तौर से अम्बेडकर वादी हैं । यही तो शैड्यूल्ड कॉस्ट फेडरेशन में गये, यही रिपब्लिकन पार्टी में गये, यही बहुजन समाज पार्टी में गये. यही जनता दल के साथ गये । इन्होंने ही बौद्ध धर्म को अपनाया । यही अम्बेडकर की प्रतिमा लगाते हैं, यही अम्बेडकर के जन्म दिन पर छुट्टी की मांग करते हैं । यह स्वाभिमानी हैं, यह सम्मान की जिंदगी बिताना चाहते हैं । इन्होंने कुम्हेर में बंदूकों के लाइसेंस मांगे लेकिन "चौबे जी गए थे छब्बे होने, दुबे जी रह गए" । एक के पास लाइसेंस था, उसको पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले गए, उसकी बंदूक को भी ले गए । स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस तो इन्हें बंदूक देगी नहीं चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, क्या वह विलेज डिफेंस स्कीम की तरह शैड्यूल्ड कास्ट डिफेंस स्कीम के नाम पर जहां-जहां इस तरह के कांड हुए , या होने की संभावना है, वहां जो लोग लाइसेंस मांगेंगे क्या उन्हें लाइसेंस दिए जाएंगे । अगर यह नहीं होता है तो फिर यह सब घड़ियाली आंसू रहेंगे । दलितों का भविष्य बिलकुल अधर में रहेगा ।

मान्यवर, विनम्र शब्दों में से एक आखिरी बात कहना चाहता हूं । इस बात को हिंदुओं से न जोड़ा जाए और न शैड्यूल्ड कास्ट से जोड़ा जाए । ये जाट और जाटवों का झगड़ा है और यह इलाका आगरा, मथुरा, भरतपुर पनवारी से मिला हुआ है । पनवारी कांड हुआ वह सारे लोग इसमें कनेक्टेड हैं, दोनों तरफ से कनेक्टेड हैं । पनवारी के लिए वादा करके आए लोग, आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी भी गए, इंदिरा योजना के तहत मकान बनाएंगे, मगर एक झोंपड़ी तक नहीं बनी, उनका रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ और न ही किसी को सजा मिली । जब हर कांड का हश्र यही होना है कि घड़ियाली आंसू बहाए जाने हैं तो—

"न खुदा ही मिलान विसाले सनम,
न इधर के रहे न उधर के रहे"

कुछ होने वाला नहीं है । इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार केन्द्र को बहुत चिंतित है तो क्या इन कदमों को उठाएगी और आप इन प्रश्नों का उत्तर देंगे ? धन्यवाद ।

श्री अजीत जोगी : उपसभाध्यक्ष जी, भरतपुर राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध एतिहासिक शहर है और उससे केवल 10 मील दूर कुम्हेर में यह नरसंहार हुआ । यह केवल कुम्हेर में नहीं हुआ, मैं सहमत हूं बिहार के बेलची में भी हुआ, आंध

[श्री अजीत जोगी]

के पुन्दुर में भी हुआ, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हुआ, उत्तर प्रदेश के महराना में हुआ, अभी कुम्हेर में हुआ है, फिर किसी अजान, अनाम गांव में फिर से होगा।

[उपसभाध्यक्ष (श्रीमति जयंती नटराजन) (पीठासीन हुई]

मैं भी जो कुछ कहना चाहता हूं, दल की सीमाओं से उठकर कहना चाहता हूं। मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि अभी तक जो चर्चा हुई उसमें दलों पर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी नहीं हुआ। मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं कि कुम्हेर की इस दर्दनाक घटना ने, घटना नहीं नरसंहार ने, इस बर्बरता ने, निर्ममता ने एक बार फिर से साबित किया है, प्रमाणित किया है खोखलेपन को, हमारे कानून के खोखलेपन को, मनु के कानून को बदलकर बाबा साहब ने जो कानून हमको दिया था, यह जो संविधान है इसमें जो संरक्षण हमको दिया था, उसके क्रियान्वयन के खोखलेपन दलों की राजनीतिक इच्छा को और सभी राजनीतिक के खोखलेपन को।

मैं प्रारंभ में यह कहना चाहूंगा कि जब तक यह खोखलापन बना रहेगा, तब तक इस हम केवल घटियाली आंसू बहाते रहेंगे, सदन में इसी तरह अपनी बात कहते रहेंगे। पुन्दुर घटा था, बेलची घटा था, अभी कुम्हेर घट गया और कुछ घटेगा, इसी तरह चर्चा होगी और समाप्त हो जाएगी। यह सिलसिला जारी था, जारी है और जारी रहेगा। इसलिए सबसे पहली जरूरत इस बात की है हम अपने-अपने गिरेबान में झांककर देखें, अपने आप सोचकर समझें कि जो खोखलापन है, सबसे पहले राजनीतिक से चालू करें, अपने-अपने दलों से चालू करें।

हम क्यों अपने अपने दलों में जब टिकट बांटते हैं तो जाति के बारे में सोचते हैं? हम क्यों अपने अपने दलों में जब बात करते हैं तो जाति के बारे में बात करते हैं जाति के बारे में इसलिए बात होती है कि जाति वह है जो कभी नहीं जाती। यह बात मेरे एक पूर्व वक्ता ने कही कि यहां पर धर्म परिवर्तन हुआ पर जाति नहीं गई। इसलिए मैं धर्म के ठेकेदारों से, जो धर्म का चिन्तन करते हैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर हम इस बारे में गंभीर हैं तो इसकी जड़ में भी जो बात है उसमें जाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया और कहा है कि यह जो धर्म वर्ण व्यवस्था है यह कर्म पर आधारित हो। हमने क्यों उसको जन्म पर आधारित बना दिया है? अनुसूचित जाति का व्यक्ति कभी ब्राहमण नहीं बनेगा चाहे वह वेदों का अध्ययन कर ले, चाहे वह पुराण याद कर ले, चाहे जितना भी पढ़ ले। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है कि कर्म पर आधारित समाज होना चाहिए, उसमें व्यक्ति का मूल्यांकन कर्म के आधार पर होना चाहिए, जब तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे तब तक यहां ऐसी चर्चा होती रहेगी और जो एक खोखलापन हमारी व्यवस्था का है, यह जो खोखलापन हमारी राजनीति का है, यह जो खोखलापन हमारे संविधान का है, जो खोखलापन हमारे कानून का है, यह जारी रहेगा और यही स्थिति बनी रहेगी ... (**समय की घंटी**)

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आंकड़े तो यहां पर बहुत दिए गए और भी दिए जायेंगे। मैं अभी आंकड़े पढ़ रहा था कि पिछले साल ही अनुसूचित जाति और जनजाति के साढ़े छह सौ लोग मारे गए। एक हजार से ज्यादा अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। 1981 से 1986 के बीच करीब एक लाख 25 हजार अपराध अनुसूचित जनजाति के लोगों पर घटित हुए। ये आंकड़ें मैंने इसलिए दिए कि हम आंकड़े तो हमशा एकत्र करते हैं पर इन घटनाओं में बढ़ती क्यों होती जा रही है, यह नरसंहार क्यों बढ़ता जा रहा है इस पर विचार नहीं करते।

महोदया, घटनाओं के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं, कुछ बातें मैं भी

कहना चाहूंगा क्योंकि जो रिपोर्ट राजस्थान सरकार के रिपोर्ट के आधार पर हमारे गृह गृह मंत्री जी ने बयान के जरिए दी है उसमें इतना बडा विरोधाभास है कि मैं तो कहूंगा कि उसमें सत्य कम है और असत्य ज्यादा है । जिन लोगों ने घटना स्थल पर जानकारी ली है, जिन्होंने पूछताछ की है, जिन्होंने वहां पर लोगों से बात की है, उनके बयान के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इसमें सत्य कम है और असत्य अधिक है । इसमें यह कहना कि संजय बिना टिकट लिए गया था, यह बिलकुल झूठ है मैंने उसका सत्यापन किया है । उसको मोहन सिंह और प्रेमसिंह के मारा । एक तारीख को यह घटना हो गई । उसके बाद 6 तारीख तक घटनायें होती रहीं । हर दिन कुछ न कुछ घटित होता रहा । हो सकता है कि प्रारंभ में दलित वर्ग के लोगों ने उसकी प्रतिक्रिया की क्योंकि उन पर अन्याय हुआ, उन पर अत्याचार हुआ था । उसकी प्रतिक्रिया हुई क्योंकि जो क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया भी होती है । प्रशासन का यह कर्तव्य हो जाता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो इससे पूर्व ही प्रशासन सतर्क हो जाए । मैं यह बिलकुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि एक तारीख को पांच तारीख तक कुछ नहीं हुआ । रोज घटनाएं हो रही थी, पंचायत बैठ रही थी, रोज षडयंत्र हो रहे थे । पांच तारीख को भी पंचायत और प्रशासन की बैठक हुई । वहां पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे । उनकी सामने साजिश हो रही थी, उनके सामने कहा जा रहा था कि हम इन लोगों को जलायेंगे उनके सामने कहा जा रहा था कि हम ट्रेक्टर लेकर उनको जलायेंगे, हम पैट्रोल लेकर उनको जलायेंगे, हम घासलेट मिट्टी का तेल लेकर उनको जलायेंगे । उनके सामने योजनायें बनाई जा रही थी । फिर भी उनको रोका नहीं गया । रोकना तो दूर रहा, 6 तारीख को क्या हुआ । मैं इसको बहुत बड़ी साजिश एक दल विशेष की नहीं मानता हूं, एक वर्ग विशेष की साजिश मानता हूं 6 तारीख को प्रशासन और पुलिस के लोग मिल जाते हैं और इस दलित वर्ग के जो लोग मैं जो इन लोगों का खड़े होकर सामना कर सकते थे, उनको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है और कुम्हेर गांव में छोड़ जाती है । . . .

वहां ज्यादा से ज्यादा 20 जाटों का परिवार है और 7–8 हजार जाटवों की आबादी है । यदि आमने-सामने लड़ाई होती, केवल जाटों और जाटवों के बीच में लड़ाई होती तो ऐसा नरसंहार नहीं होता ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please conclude; you have already taken ten minutes.

SHRI AJIT P. K. JOGI: I will take 2-3 minutes more.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please conclude.

श्री अजीत जोगी : उनका नरसंहार इसलिए हुआ क्योंकि उस गांव के जितने सक्षम योग्य नौजवान थे, जो सामना कर सकते थे, जो खड़े होकर अपनी महिलाओं के साथ बलात्कार होने से रोक सकते मैं, जो खड़े होकर अपने घरों को जलने से रोक सकते थे, जो खड़े होकर अपने बूढ़ों बुजुर्गों और बच्चों की हत्या होते हुए खड़े होकर रोक सकते थे, जो प्रतिकार कर सकते मैं उनको पुलिस सुबह पकड कर ले जाता है । साजिस करने वाले लोगों को, षडयंत्र करने वाले लोगों को यह मालूम होता है कि जाटों का 7–8 हजार की बस्ती में से 400 सक्षम जाटों को यहां से पुलिस ले गई है अब केवल बच्चे बचे हैं, महिलायें बची हैं, अब केवल बूढे बचे हैं तब 5–6 हजार लोगों टूकों में बैठकर नंगी तलवार घुमाते हुए उस गांव की तरफ जाते हैं, उस मुहल्ले की तरफ जाते हैं और तब वह नरसंहार होता है । मैं यह मांग करता हूं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि सबसे पहले अगर जांच करनी है तो इस बात की जांच कराई जाए कि यह साजिस थी या नहीं । प्रशासन ने इन नौजवान जाटवों को 300 जाटवों को सुबह क्यों पकड़ लिया । दो बजे फिर वहां ये लोग जाते हैं । दो बजे से नरसंहार जारी होता है और 6 बजे तक बलात्कार चलता रहा है । पुलिस खड़ी हुई देखती रहती है, एक भी गोली नहीं चलती है, अश्रुगैस नहीं छोडी जाती है, बल का प्रयोग नहीं होता है । यह कैसा प्रशासन है ? प्रशासन

[श्री अजीत जोगी]

किस तरह से समस्या का निराकरण कर रहा था ? मैं बार-बार यह कहना चाहता हूं कि क्योंकि मैं खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा हूं , 12-13 साल डिस्ट्रिक्ट मिजिस्ट्रेट रहा हूं इसलिए यह बात रेखांकित करके कहना चाहूंगा कि यह बडी गैरजिम्मेदारी की बात है । जब पता चल जाता है कि एक तारीख से घटना में तनाव पैदा हो रहा है , एक तारीख से साजिश हो रही है, एक तारीख से षडयंत्र हो रहा है, पुलिस के अधिकारियों के सामने बातचीत हो रही है, यह तय हो रहा है कि हम अस्त्र लेकर जायेंगे, हम जलाने वाला विस्फोटक पदार्थ लेकर जायेंगे, हम बम लेकर जायेंगे, लाठी लेकर जायेंगे तब भी कोई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है । मैं अपने साथियों से यह कहना चाहूंगा जिनकी पार्टी की सरकार वहां राज्य में है, मैंने प्रारंभ में कहा था कि मैं दलों से ऊपर उठ कर बात करता हूं इसलिए मैं दूसरी घटनाओं का भी जिक्र किया । मैंने आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आप तह में जरूर जाइए । यह जो साजिश हुई है इस साजिश में आपकी पार्टी के लोग शामिल हों या न शामिल हों, पर इस साजिश में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग और सवर्ण वर्ग के लोग पूरी तरह शामिल थे ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please conclude. I will have to call the next speaker.

श्री अजीत जोगी : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तो मुझे सुझाव देने हैं . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): No, I am sorry. I have to call the next speaker. You have already taken 13 minutes. According to rules you cannot take more than five minutes.

SHRI AJIT P. K. JOGI: You cannot muzzle the voice of Dalits like this. We have to speak. We have suffered; our people have suffered, and I have to speak on their behalf. You cannot silence me like this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I am sorry; nobody is silencing you.

SHRI AJIT P. K. JOGI: You don't cut me short like this. There are other speakers who have spoken for 20 minutes, and I was the first to give notice for it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please sit down and calm yourself.

SHRI AJIT P. K. JOGI: But my heart is bleeding.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Everybody's heart is bleeding but there is no need to talk to the Chair like this.

SHRI AJIT P. K. JOGI: I have to make my suggestions. You cannot cut me short like this; otherwise you name me and I will go out. Here I am speaking for my people.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): You have spoken for 13 minutes already. Hon. Members,I have to tell you that these are the rules regarding the calling attention motion. The first speaker who draws the attention of the Government will not speak for more than seven minutes, and every other speaker cannot speak for more than five minutes. It is most unfair to make such a remark that the voice of the people is being muzzled. You do not have a monopoly on concern. Threatening the Chair and making remarks against the Business Advisory Committee...

SHRI AJIT P. K. JOGI: I am not threatening anyone.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Kindly change your tone.

SHRI AJIT P. K. JOGI: I only want to say what my feelings are. I am not threatening anyone, let alone the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): There is no use in getting emotional. Don't try to intimidate the Chair. I will not give into this intimidation. You do not have a monopoly on concern. (*Interruptions*) If you take more time, none of the other Members will get time.

श्री अजीत जोगी : मेरा इस सदन से यह निवेदन है कि इस घटना की तह पर, इस षडयंत्र पर और इस साजिश पर हमको जाना होगा । यह साजिश हुई है, पुलिस की प्रशासन की और सवर्णों की, इसमें हमें जाना होगा और इस पर जांच जरूर करनी होगी । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर हमने इस तरह की वारदातें नहीं रोकी, यदि इस तरह से दलितों पर हमला होता रहा, दलितों का इस तरह से नर-संहार होता रहा तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह की परिस्थितियां बिहार में बनी हैं । बारा कांड हुआ, जिस तरह से वहां के दलित संगठित होकर उन्होंने सवर्णों पर हमला किया अगर हम चाहते हैं कि इस तरह की भावना दलितों में न आयें, प्रतिकार की भावना न आयें, इस तरह से संगठित होकर ये अपना बदला न ले तो हमें जागना होगा, हम को आज ऐसी कार्यवाही करनी होगी कि उनको यह लगे कि अगर उन पर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो सारी पार्टियां मिलकर, सारे राजनैतिक दल मिलकर, सारी सरकारें मिलकर, केंद्रीय और राज्य सरकारें मिलकर हमारे ऊपर जो बीती है उसका प्रतिकार करते हैं । मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर चौबीस गांवों का जाटों का प्रभुत्व पांच हजार, छः हजार जनसंख्या को लेकर आगे बढ़ रहा था तो उनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, हमने इतना बड़ा सुझाव उनको बांटा है और बांटने की मांग करते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है, जिसने इस घटना का नेतृत्व किया है उसकी जमीन कुर्क की जाय, उसकी संपत्ति कुर्क की जाय और उससे वह राशि वसूल की जाये । हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जिस समाज के लोगों ने दलितों पर अन्याय और अत्याचार किया है उस समाज के वर्ग पर एक कम्यूनिटी फाइन लगाया जाये जिससे आयन्दा उनको सबक मिले । हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जो कानून हमने बनाया हुआ है, सेक्शन-3, प्रिवेंशन आफ एट्रोसिटीज आन शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड ट्राइबज, उसके अंतर्गत इनको क्यों दंड नहीं देते हैं ? मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसी का ट्रांस्फर कर देने से या किसी को हटा देने से और यहां तक कि किसी को निलंबित कर देने से प्रशासन पर कोई असर नहीं होता है । हमको ऐसा प्रावधान बनाना पड़ेगा, इस सदन को बनाना पड़ेगा कि जो अधिकारी उस स्थान पर है, जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या जिला सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस है या थाने का स्टेशन हाउस अफिसर है, अगर उसके इलाके में ऐसी घटना होती है और वह ऐसी घटना को अपनी सतर्कता से रोक सकता था तो उसको मुलजिम बनाना चाहिए, उसका सजा देनी चाहिए ।

अंत में चूंकि बार-बार घंटी बज रही है, मैं बहुत सी बातें कहना चाहता था, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि हम जागें । आज जरूरत इस बात की है कि हम दलितों की पीड़ा को समझें । ऐसी घटनायें बार-बार गांवों में होती हैं । पर इस तरह के नर संहार वहां होते हैं जहां दलित पढ़ लिख गए हैं, जहां दलित शिक्षित हैं और वे प्रतिकार करते हैं । यह घटना इसलिए हुई कि दलित के बच्चे ने जिसने सिनेमा का टिकट लिया था उसको कुर्सी पर बैठने नहीं दिया गया, उसे जमीन पर बैठने दिया गया । उसने प्रतिकार किया, मारपीट की । इसलिए यह घटना हुई । यह प्रतिकार और जागृति अच्छी बात है । इस प्रतिकार और जागृति को मैं अच्छा समझता हूं । हम सब को सजग होकर इसको समझना पड़ेगा, इसके लिए हमको, आपको अपने दिलों को बदलना पड़ेगा, अपना राजनैतिक सोच बदलना पड़ेगा, अपने कानून और संविधान को

[श्री अजीत जोगी]

समझना पड़ेगा । अंत में मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं–

फूलों की टहनियों पर निशेमन बनाइए,
बिजली भी गिरे तो जश्ने चिराग मनाइए,
दलितों की रगों में मीठा मीठा दर्द है,
उनकी बीमार नकहतों को जरा गुदगुदाइए ।

SHRI DAVID LEDGER (Assam): Madam Vice-Chairman, caste atrocities are a matter of concern to each and every one of us and they deserve to be condemned in the strongest terms. It is, therefore, in the fitness of things that the rioting incidents of Kumher of Bharatpur have been taken up for discussion in this House. Madam, the chronology of events relating to the rioting of Kumher of Bharatpur, where 15 people reportedly lost their lives and property worth more than Rs. 80 lakhs has been damaged according to the preliminary reports, clearly establish that the whole thing was pre-planned and pre-editated, but what is intriguing is despite prior notice and knowledge, the administration failed to take any preventive steps. Now this becomes amply clear from the statement which the hon. Minister of State for Home has made in the House today. We find that on the 1st of June there was a scuffle over the entry into a cinema hall. There was tension. On the 3rd June there was another quarrel and there was more tension. The quarrel was between two groups, namely the Jat community and the Jatav community. On the 4th of June there was again tension resulting from disruption of drinking water. The statement also says that on the 5th of June there was again tension as a result of disruption of drinking water. There was firing of shots and there was general panic. On the 6th June, 6000 people had gathered in a Panchayat and throughout these 6 days, from 1st June till 6th June, the administration did not act in any manner; no preventive steps were take. I would only term this as utter lack of responsibility and as a failure on the part of the administration. The administration failed on two counts: (1) to prevent the incidents of rioting; and (2) to deal with the situation even after they reportedly got into action. The statement clearly shows again that even after the so-called intervention of the administration fresh incidents took place, people were killed, property was damaged. So, Madam, I would only like to know from the hon. Minister whether the Government of India will fix accountability on the Rajasthan Government for its disastrous failure to prevent the incidents of rioting in Kumher of Bharatpur. I would also like to know whether the Home Ministry will hold the Chief Minister of Rajasthan directly responsible for his failure; and whether the officials who were guilty of neglect of duty, of dereliction of duty and of connivance at the mischief that took place, will be taken to task. Will they be given adequate punishment so that it serves as a warning for the future? Lastly, we have come to know from the statement that the hon. Minister paid a visit to the place of occurrence on the 15th of June. He has made this statement on the basis of the information provided to him by the Rajasthan Government. Since the hon. Home Minister went to the place of occurrence, he must have talked to cross sections of the people. Will the hon. Minister give his personal impression about the incident, not relying on the report of the State Government?

SHRI V. NARAYANASAMY: Thank you, Madam, for giving me this opportunity. The killing of Jatavs in Kumher village by Jats of that area is a well-calculated massacre and communal carnage which took place in the last week of June, 1992. Madam, an elaborate statement has been made by the hon. Minister of State for Home Affairs. Immediately after the incident, the hon. Prime Minister was pleased to send the

hon. Minister of State for Home Affairs to have first-hand knowledge of the incident that happened in Kumher Village. Hon. Members of this House have explained in detail the day-to-day occurrences in the first week of June 1992. When we go through the report and the statement by the Hon. Minister, it is patently clear that the State Administration failed to enforce law and order in the State of Rajasthan. I am saying this from the statement of the Statesman of the State Government itself.

The statement of the State Government is rather tricky. They say that combing operations were there in the areas where the Jatavs were living and weapons, bombs and other items had been seized. But on the contrary, the State Government allowed the Jats to come with weapons in tractors and trailors to attack the Jatavs in their hamlets. Another aspect is, before the Jats attacked the hamlets of the Jatavs, the Jatavs had been arrested, taken into custody, and only women and elderly persons were there in the village who had been attacked and killed and 300 houses had been gutted by the Jats. According to the police, the information is very clear. According to Superintendent of Police, Shri Kapil Gaur, Jats gathered in large numbers and there was information that arms were being concealed in tractor trailers as an initial move before attacking the Jatavs. That is No. 1 Later, additional information was received that the Jats were planning to attack immediately after the panchayat. Therefore, the police administration had prior information about the Jats who were going to attack the Jatavs in the village of Kumher. With a 300-strong police force they fired some rounds and, thereafter, when these 6,000 Jats scattered and then entered the village—the police say—they were unable to control the situation and therefore, they could not prevent the massacre and burning of the houses by the Jats. This is the failure of the police administration.

Then let us come to the relief part of it. As far as the relief measures are concerned, the State Government gives a rosy picture but, in fact, the ground situation is entirely different. People who have been seriously injured have not been given medical facilities, people who have no houses have not been provided shelter and people who have lost everything have not been given food. This is the state of affairs as far as relief measures are concerned. Fortunately, the hon. Minister of State for Home Affairs visited the place on the 15th. Only after that the State Government machinery started moving. I would like to quote the hon. Minister's statement to the press, which will clearly show how the State Government machinery failed in controlling the situation and that they have not given relief to the people who have been affected.

The hon. Minister has stated: "There were serious lapses on the part of the Administration during the Kumher incident and the State Government machinery has not taken adequate steps to prevent the carnage." Then the Minister went on to say that as far as the relief measures were concerned, he had to direct the State Administration and the Chief Minister to provide relief works and also relief operations as far as medical facilities were concerned and also for giving shelter and food to those people.

My question is very simple. Now the hon. Minister is relying upon the statement of the State Government. The hon. Minister had, after his visit, submitted a report to the Central Government. Now I want the hon. Minister's report to be laid on the Table of the House. The House should be given the information about the hon. Minister's visit. What for had the hon. Minister gone to the Kumher village? What the hon. Minister has seen there, that in-

[Shri V. Narayanasamy]

formation should be shared with this House also. Then only will a clear picture be known. Now the hon. Minister is giving a rosy picture. He is giving the statement of the State Government. That is not enough. The real picture should come to the House, and the House should be taken into confidence about the Minister's report. Therefore, Madam, I put a pertinent question to the hon. Minister whether he is going to place his report on the Table of the House, whether he will share his opinion, his views on the carnage, with the hon. Members.

Madam, the State machinery failed. Then the police administration failed. The persons involved in the massacre have not been arrested. The officials who have been conniving, have not been arrested. The people who were negligent, have not been arrested. No action has been taken so far. In the name of the CBI enquiry, they are trying to postpone action against the officials and other persons involved.

Madam, I submit to this House that the Chief Minister of Rajasthan should take the moral responsibility, and he should quit office for having been negligent and lethargic and for not taking proper action to save the down-trodden and poor people of the village, who have been killed by the Jat community, the higher caste people. I want these two things. The hon. Minister's opinion should be laid on the Table of the House so that his views on this matter are shared with the Members of this House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Hon. Members, I have to make an announcement.

The Minister for Environment and Forests, Shri Kamal Nath, was supposed to make a stttement at 5.00 p.m. on the recently concluded United Nations Conference on Environment and Development. But he has written to the hon. Deputy Chairman, saying that he has some problem in coming here at that time. She will allot some other time which is convenient to the House. She said that she would allot a convenient time, whatever would be convenient to the Members.

AN HON. MEMBER: Today or tomorrow?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Not today. When it will be made will be announced at a suitable time.

श्री राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : मैडम, यह बड़ी अजीब बात है कि समाज के जिस वर्ग ने इस पूरे समाज की सर्वाधिक सेवा की हो वह उन्हीं लोगों द्वारा सर्वाधिक प्रताड़ित किया जिनकी सेवा उन्होंने सर्वाधिक की । जब जब सदियों से पीड़ित और शोषित दलितों ने अन्याय, अभाव और अज्ञान के खिलाफ संघर्ष किया उससे मुक्ति पाने का प्रयास किया, तब तब उन लोगों को दिक्कत हुई जिनके निजी स्वार्थ पर चोट पहुंचती थी या जो सदियों से उनका शोषण करते रहे हों । यही कारण है कि हिंदुस्तान में जहां भी दलित वर्ग के लोगों ने आत्मसम्मान के लिए आगे कदम बढ़ाने की कोशिश की उनको अपमानित होना पड़ा, प्रताड़ित होना पड़ा ।

अतीत में जो भी घटनायें घटी हैं वे सब निन्दनीय हैं लेकिन उनका सहारा लेकर जो कुम्हेर में हुआ उसके लिए प्रशासन को या राज्य सरकार को दोषी न ठहराया जाय यह बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है ।

मैडम, नरायणपुर की ए॰ घटना ने, हालांकि एक छोटी घटना थी लेकिन अगर एक व्यक्ति की भी जान जाती है तो बदकिस्मती होती है इसलिए मैं छोटी घटना नहीं कहूंगा, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया ।

महोदया, अभी कुछ वर्ष पहले इजरायल के सैनिकों ने लेबनान में पी॰एल॰ओ॰ शरणार्थियों के दो कैम्पों में महिलाओं और

बच्चों पर जब आक्रमण किया तो इजराइल के यहुदियों ने राजधानी तेलअबीब में प्रदर्शन करके प्रधान मंत्री को फोर्स कर दिया कि रक्षा मंत्री त्यागपत्र दें । उनका तर्क था कि अगर हम आज निहत्थे लोगों की हत्यायें कर रहे हैं तो हममें और हिटलर में क्या फर्क था जो यहुदियों की हत्या कर रहा था ।

इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जो यह बयान दिया गया है यह राजस्थान सरकार का बनाया हुआ बयान है और मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि चाहे अयोध्या का मसला हो चाहे राजस्थान का मसला हो चाहे कोई मसला हो केंद्र की सरकार अपनी एजेंसीज का, अपने विवेक का कहीं इस्तेमाल नहीं कर रही है । जो दोषी हैं जिनको दंडित होना चाहिए जिनको सत्ता से हटाया जाना चाहिए अगर उन्हीं की रिपोर्ट पर आप बयान करेंगे तो दिल्ली की सरकार का औचित्य क्या है ।

इनकी जो एजेंसीज हैं उनका क्या औचित्य है ? पहली तारीख से 6 तारीख तक घटनायें बढ़ती रहें, लोगों के घरों को जला दिया जाए, सैंकड़ों लोग बेघरबार हो जायें और इसके बाद भी किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही न हो, किसी अधिकारी को जेल न भेजा जाए, It is a case of criminal negligence on the part of the State Government Administration. किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई । मैडम, यह ऐसा एक सवाल है जिस पर बड़ी लंबी बहस हो सकती है । इतना दर्दनाक यह मामला है कि आदमी जब सेंटीमेंन्टल हो जाती है और जब रोका जाता है तो भाई अजीत जोगी की तरह कभी-कभी ऐसा होता है कि चेयर को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं । सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार अपने विवेक का इस्तेमाल करे । इस रिपोर्ट को जो प्राइमाफेसी यह साबित करता है कि यह सब गलत है । It is a bundle of false statements. बिल्कुल पूरी तरह से असत्य है । सारे तथ्यों को छिपाया गया है । एक जाटवों को आक्रामक साबित करने की कोशिश की गई है, जो पूरी तरह से गलत है, असत्य है । इसलिए इस स्टेटमेंट को पूरी तरह से नकार कर केन्द्र सरकार अपनी एजेंसीज से रिपोर्ट मंगायें । उसके बाद उसके आधार पर दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करे और आवश्यकता पड़े तो राजस्थान की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि इससे ज्यादा वैलिड ग्राऊंड और कोई हो ही नहीं सकता किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए । थैंक यू, मैडम, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

डा० अबरार अहमद (राजस्थान) : थैंक यू, मैडम, । मैडम, यह जो माननीय गृह मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है और उसमें उन्होंने यह बहुत साफ लिखा है कि राज्य सरकार ने जो रिपोर्ट भेजी है उसके अनुसार तथ्य इस प्रकार हैं । मुझे हैरत हुई यह वक्तव्य पढ़ कर क्योंकि मुझे 10 जून को कांग्रेस अध्यक्ष श्री नरसिंह राव जी ने इस कुम्हेर कांड के तथ्यों की जानकारी के लिए एक कांग्रेस समिति का दल भेजा था और चार सदस्यीय दल में मुझे भी वहां जाने का मौका मिला था और शायद वह पहला दल था उस घटना के बाद जो प्रत्येक मरने वाले के घर में गया, प्रत्येक पीड़ित के घर गया वास्तविकता और तथ्यों का पता लगाया, न सिर्फ उन लोगों से बल्कि उस समय जो वहां उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे उन लोगों से भी बात की जो उन्होंने उस समय हमको बात बताई थी 10 जून को, आज भी इस वक्तव्य में बात है कहीं-कहीं मेल नहीं खाती । मुझे हैरत होती है कि इतना बड़ा झूठ भी कोई सरकार सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए बोल सकती है, यह पढ़कर मुझे हैरत होती है । महोदया, इसके अंदर घटना जो एक जून से शुरू की गई है और सात जून तक लिखी गई है, एक जून की घटना के बारे में यहां यह लिखा है कि सिनेमा हाल के अंदर जाटव समुदाय और जाट समुदाय के लोगों के बीच हाथापाई हुई, क्योंकि जाटव समुदाय के कुछ लड़कों ने बिना

[डा० अबरार अहमद]

टिकट के सिनेमा हाल में घुसने का प्रयास किया। महोदया, यह तथ्यों से बिलकुल परे हैं। जैसा माननीय सदस्य श्री अजीत जोगी कह रहे थे वह सही है कि वह जाटव टिकट लेकर के पिक्चर हाल गए, लेकिन उनको कुर्सी पर नहीं बैठने दिया। उनको नीचे बैठने के लिए बाध्य किया गया। इस बात पर वहां तकरार हुई और सिर्फ तकरार हुई, कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन इसमें लिखा है कि उसके बाद भी 300 से 400 जाटव लड़कों ने सिनेमा हाल पर तथाकथित पथराव किया। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं और वह सरकार से पूछे कि जब 300 से 400 जाटव लड़के वहां इक्ट्ठे हुए और उन्होंने पथराव किया तो क्या उन्होंने एक्शन लिया, कितनों को उन्होंने बंद किया? उस घटना की वहां एफ०आई०आर० दर्ज हुई थी, क्या उस एफ०आई०आर० जो दर्ज हुई थी उसके अंदर यह बात है क्या उन्होंने किसी को पकड़ा या किसी को गिरफ्तार किया, किसी पर लाठी चार्ज किया? अगर सच्चाई होती तो यह सब कुछ होता, लेकिन सच्चाई नहीं थी। मात्र उस जाटव लड़के को जमीन पर बैठने के लिए बाध्य किया था। वह अकेला था। वहां से उसको भगा दिया गया, वह घर चला गया। दूसरी घटना जिसका उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है 2 जून को घटी। दो जून को पैनगोर एक और गांव में कुछ जाटव लड़के मजदूरी करने गए वहां कुछ, जाट लडकों ने उनको डराया, धमकाया और पीटा। वहां से आ करके उन्होंने यह बात जो कुम्हेर के अंदर बड़ा मोहल्ले के वे रहने वाले थे, वहां बताई गई और उसके बाद 3 तारीख को कुम्हेर के अंदर एक डिमांस्ट्रेशन जाटवों द्वारा किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि 3 तारीख को कुम्हेर के बाजार में डिमांस्ट्रेशन किया गया। उसमें नारे लगाए गए। वह नारे किसी के विरुद्ध नहीं थे बल्कि वह न्याय की मांग कर रहे थे। दूसरे, उसके अंदर जो यह बात लिखी गयी है और जो बहुत ही आपत्तिजनक है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। वहां जब 10 तारीख को वह दल गया था तो कम-से-कम 50 आदमियों के सामने डायरेक्टर जनरल, पुलिस मि० शेखर ने यह कहा था कि यह महिलाओं के साथ दुर्व्यव्हार वाली बात एक अफवाह है जोकि किसी ने उड़ायी है। वहां किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ है और आज तक यह बात कहने वाला कोई गवाह नहीं है। कोई महिला नहीं है जो यह कहे कि दुर्व्यवहार हुआ है। मैं चैलेन्ज करता हूं इस सदन के सामने कि मुख्य मंत्री या उनकी सरकार एक महिला को पेश कर दें जिसके साथ कि वहां तीन तारीख को किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ हो। वे एक भी महिला का नाम बता दें। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक मनगढ़ंत अफवाह थी जोकि वहां फैलायी गयी थी। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह वहां के पुलिस अधिकारियों ने कहा है और उस दल के सामने कहा जोकि वहां गया था, जनता के बीच में कहा कि यह बिल्कुल मनगढ़ंत अफवाह थी वहां किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ और मेरे विपक्षी साथियों से मेरा कहना है जोकि इस घटना के हामी हैं, वह बताएं कि कौनसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ? वहां के अधिकारियों ने भी उस समय मना किया। हमने वहां सैकड़ों लोगों से पूछा कि यह महिला के साथ दुर्व्यवहार की बात जोकि 3 तारीख के डिमांस्ट्रेशन में हुई, यह वाकयी बहुत शर्मनाक है। क्या यह घटना घटी? हमें एक आदमी यह कहने वाला नहीं मिला पूरे कुम्हेर के अंदर, सबने मना किया। हमने वहां हर तबके के लोगों से पूछा, सैकड़ों लोगों से पूछा कि क्या तीन तारीख को बस स्टैंड पर किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ? सभी ने इंकार किया। इस तरह से यह अफवाह के आधार पर एक बदनाम करने का षडयंत्र था जिसे कि एक वक्तव्य के रूप में संसद के सामने रखने एक सरकार ने यहां भेज दिया। मैं नाम कोट कर रहा हूं उस डायरेक्टर जनरल का जिसने हमको यह बताया था। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि इस तरह की गलत अफवाह फैलाकर जिस प्रकार से वहां झगड़ा किया गया, और भी जगह इस तरह स

तनाव पैदा किया जा सकता है। तो इस तरह जो लोग गृह मंत्री को गुमराह कर, संसद को गुमराह कर और उसके माध्यम से सारे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, दलितों पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त-से-सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

महोदया, इसमें 4 जून की घटना के बारे में लिखा है कि 4 जून को कोई घटना नहीं घटी। महोदया, 3 तारीख की इतनी संगीन बात इन्होंने कही और 4 तारीख को उससे आगे बढ़कर बात कही और 5 तारीख को भी इन्होंने घटना का जिक्र किया है। मैं एक बात आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब 5 तारीख तक इतनी संगीन घटनाएं होती रहीं तो क्यों नहीं 5 तारीख तक किसी को गिरफ्तार किया गया? पांच तारीख की शाम तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया था। कहीं तलाशी नहीं ली गयी थी। यहां तक कि धारा 144 जोकि मामूली सी घटना में लग जाती है, लेकिन जब 3 तारीख को इतनी बड़ी घटना घटी, एक तारीख को तीन सौ, चार सौ आदमियों ने पथराव किया, सब को पता था कि जाट-जाटवों में टेंशन रहता है तो 5 तारीख तक धारा-144 क्यों नहीं लगायी गयी? क्यों नहीं वहां लोगों को पकड़ा गया? अगर इसे भी मानें कि 5 तारीख को घटना घटी तो 6 तारीख को पंचायत कैसे बुलाई गयी जिसके कि अंदर 20 हजार आदमी आसपास के 50 गांवों से आने वाले थे? क्यों उनको इकट्ठा होने दिया गया? अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि कुछ पुलिस अधिकारी उसमें पूरी तरह से मिले हुए थे। वे उन जाटवों के घर 6 तारीख को गए और उनके घरों की तलाशी ली, उनके यंग लोग जितने थे 40-42 उनको गिरफ्तार किया, उनके घरों से सारे अस्त्र छीन लिए, लाठियां छीन लीं, उनको निहत्था कर दिया गया और उसके बाद 6 तारीख को जो पंचायत थी, उसमें पुलिस अधिकारियों ने जाकर कहा कि अब तुम लोग जो मर्जी हो कर सकते हो, वहां कुछ भी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है और उसके बाद 6 तारीख को कुम्हेर के अंदर 300 पुलिसकर्मी मौजूद थे। यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह हमको वहां के डायरेक्टर जनरल, पुलिस ने बताया। वहां जब 300 पुलिसकर्मी 6 तारीख को मौजूद थे और यह कहते हैं कि सिर्फ 400-500 आदमी 6-7 टोलियों में आगे बढ़े। तो क्या 300 पुलिसकर्मी 6-7 टोलियों को नहीं रोक सकते थे? क्या यही स्थिति है राजस्थान प्रशासन और सरकार की कि 300 पुलिसकर्मी और जिसके कि अंदर आय. जी., डी.आय.जी., एस.पी मौजूद हों, वे 6-7 टोलियों को नहीं रोक सकें। लेकिन नहीं, सच्चाई यह नहीं है, वक्तव्य में सच नहीं। आदमी हजारों की तादाद में उस तरफ बढ़े। ट्रेक्टर ट्रालियों से बढ़े, पैदल बढ़े, पहाड़ों की तरफ से बढ़े, सड़कों की तरफ से बढ़े, गांव की तरफ से बढ़े, जंगल की तरफ से बढ़े और लोगों को मारा गया। पुलिस वालों ने, जो वहां 300 की तादाद में मौजूद थे, किसी आदमी को रोकने का प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास किया होता, लाठी-चार्ज किया होता, अश्रुगैस छोड़ी होती गोली चलाई होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो नृशंस हत्याएं वहां दलितों की हुई हैं, उन गरीबों की हुई है वह कभी न होती। उनके लोगों को पकड़ कर, गिरफ्तार करके वहां बैठा दिया गया और बेचारे बुढ़ढों पर, बुजुर्गों पर, महिलाओं पर अत्याचार करके, उनको जान से मरवा दिया गया, कत्ल करवा दिया गया। इसमें पूरी तरह से सरकार इन्वोल्व है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, इसके कई राजनीतिक कारण भी हैं, मैं उन राजनीतिक कारणों में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो वक्तव्य में एक तारीख से छह तारीख तक की घटना को इस रूप में प्रचारित करने, प्रसारित करने, संसद को धोखा देने का प्रयास किया गया है, उस पर मैं बताना चाहता हूं। थोड़ा

[डा० अबरार अहमद]

आगे बढ़िए, 6 तारीख को तो उन्होंने इस तरह से 13 लोगों को मौत के घाट उतारा, हजारों लोगों के घर जला दिए। उसके बाद 7 तारीख को राजस्थान सरकार के गृहमंत्री वहां मौजूद थे, राजस्थान सरकार के डायरेक्टर जनरल पुलिस वहां मौजूद थे, 5 और 6 तारीख की जिस तरह की घटना का जिक्र था और पैरा-मिलटरी फोर्स और पुलिस पहुंच गई थी, उसके बाद 7 तारीख को तीन जवान दलितों को मौत के घाट उतार दिया गया और वह भी उन सबके वहां होने के बावजूद और बीसियों घर जला दिए गए, जो सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, इस वक्तव्य में भी इन्होंने कहा है। तो 5 तारीख से 7 तारीख तक नर-संहार चलता रहा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please be brief and conclude. You have taken a lot of time.

डा० अबरार अहमद : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, सच्चाई सदन के सामने आनी चाहिए, देश के सामने आनी चाहिए और देश को गुमराह करने वाले, संसद को गुमराह करने वाले और गृहमंत्री जी को गुमराह करने वाले इस वक्तव्य का पर्दाफाश होना चाहिए। यह उन गरीबों की पुकार है, उन दलितों की पुकार है, जिनके यहां किसी के सिर से उसके बाप का साया छिन्न गया, किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी बहन के भाई छिन्न गए। उनकी आवाज और सच्चाई अगर देश तक नहीं पहुंची तो शायद यह देश हमें माफ नहीं करेगा।

महोदया, 7 तारीख की घटना के बाद इसके अंदर राहत के बारे में बड़ी-बड़ी चर्चाएं की गई हैं कि इतनी राहत सामग्री बांटी। महोदया, 10 तारीख को जब हम वहां पहुंचे तो जाकर देखा कि सैकड़ों लोग बिना घरबार के सड़कों पर पड़े हुए थे, जिनके पास खाने को रोटी नहीं, जिनके पास रहने को छप्पड़ नहीं। जब मैंने वहां एक दृश्य देखा, न सिर्फ मेरे बल्कि मेरे साथ जितने लोग थे सबके रौंगटे खड़े हो गए। एक महिला, जिसके ससुर और सास की हत्या कर दी गई थी, जिसके घर हम 10,000/- रुपए, जो माननीय नरसिंह राव जी ने कांग्रेस कमेटी की तरफ से सहानुभूति के रूप में देने के लिए भेजे थे, जब हम उसके घर गए तो वहां, जिसके घर के अंदर दो मौतें इस प्रकार हो गई थीं वहां वह महिला उल्टी पड़ी हुई थी और कराह रही थी। उसका पति पास में खड़ा हुआ था, उससे हमने मालूम किया तो उसने कहा कि इसकी रीड़ की हड्डी टूट गई है मारने से, लेकिन आज तक कोई इलाज करने वाला नहीं आया। इस बयान में मैडिकल एड देने की बात की गई है। घटना 10 तारीख की है, सारे कुम्हेर को पता है, भरतपुर जिले को पता है और हम वहां बी.जे.पी. और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को बात करके आए, उस महिला का नाम पता बता कर आए, घर बताकर आए कि इसका इलाज करो। ऐसे तो सैकड़ों हैं, किसी की अंगुली कटी, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, किसी को जख्म लगे, इनका कोई इलाज नहीं और यहां कहते हैं कि हमने वहां राहत पहुंचाई है। खाने-पीने की सामग्री 6 तारीख को इतनी, 7 तारीख को इतनी, 8 तारीख को इतनी, 10 तारीख को इतनी, मगर कहां गई वह सामग्री? यह तो उन पर डबल अत्याचार है। उन्हें राहत सामग्री नहीं दी और वह सामग्री वहां के प्रशासनिक अधिकारी और सरकार के कुत्ते खा गए।

महोदया, इसके साथ ही यह अन्याय और अत्याचार तो उन लोगों के साथ हुआ ही हुआ, उनको राहत सामग्री क्यों नहीं दी गई? उसके बाद अगर आप इसके अंदर देखें तो सरकार ने जो एक्शन लिया, जो कार्यवाही की उनके अंदर मात्र वहां के कुछ अधिकारियों का स्थानान्तरण किया। क्या स्थानान्तरण कोई सजा हुई? अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे और वह सही था कि जो ट्रक्टर ट्राली उसके अंदर यूज की गई, क्या पुलिस अधिकारियों ने उनको नहीं देखा होगा? क्या उन पर

नबर नहीं थे? क्या उनको बाद में नहीं पकड़ा जा सकता था? कितनी ट्रेक्टर ट्राली पकड़ी? यह कहते हैं कि छह-सात ट्रेक्टर ट्राली थी। क्या यह सरकार को कस्टडी में है वह छह सात ट्रेक्टर ट्राली? क्या पुलिस और पुलिस अधीक्षक की आंखों पर पट्टियां बंध गई? वहां पेट्रोल पंप से सरेआम उनको पेट्रोल दिया गया। क्या उस पेट्रोल पंप को बंद नहीं कर सकते थे? अगर उसके बावजूद भी उसको मकानों को चलाने के लिए उन गाड़ियों के अंदर पेट्रोल दिया गया तो क्या उस पेट्रोल पंप वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी? उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था? आप एक्शन की बात करते हैं, कार्यवाही की बात करते हैं, लेकिन यह असत्य और दिखावा मात्र है, यह मात्र एक राजनीतिक छलावा है क्योंकि भरतपुर के अंदर, जो मेरी जानकारी में है चूंकि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, भरतपुर एक ऐसा जिला है कि वहां न भारतीय जनता पार्टी के साथ जाट हैं और न जाटव हैं। बहुत दिनों से इनकी निगाह थी कि किस तरह से राजनैतिक प्रपंच रचा जाए, जिसमें जाट या जाटव में से कोई इनके साथ रहे। इनकी राजनीति में इस में षडयंत्र के अंदर और इस घिनौने खेल में किस हद तक यह कामयाब हुए?

5.00 P.M. और इस घिनौने कामयाबी के लिए मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि खून की होली खेलकर, वोटों की राजनीति करके जाट या जाटों में से एक को साथ लेकर के एक तारीख से 7 तारीख तक घटना होती रही लेकिन इन लोगों ने आंखों पर पट्टी बांध ली और बेचारे बेगुनाहों को मरने के लिए छोड़ दिया! .. (घंटी) .. तो मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो सरकार है, यह उस सरकार का कोई पहला खेल नहीं है, यह पहले जयपुर में खून की रंगोलियां खेल चुकी है, उसकी आदत पड़ गई है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो सरकार इस तरह से खून से रंगोलियां खेलती है, गरीबों पर जुल्म कराती है, कफर जलाती है, अपने पुलिस के अधिकारियों से जलवाती है, प्रशासनिक अधिकारियों से जलवाती है, उस सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह सरकार में बनी रहे। तो माननीय गृह मंत्री जी, आप इस बात को देखें और उस सरकार को बर्खास्त करने की मैं आपसे मांग करता हूं क्योंकि उस सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि राजस्थान के अंदर वह सत्ता में रहे और जिन गरीबों को आज तक राहत नहीं मिली है या जो तड़प रहे हैं या सरकार की तरफ देख रहे है कि हमारे को कोई मदद पहुंचाए, उनको तत्काल आप मदद पहुंचाएं। धन्यवाद।

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR (Nominated): Madam, I have gone through the statement given by the hon. Home Minister. It was by way of a special mention that I have raised this issue in this House. I won't go into the details as to what has happened because I have mentioned all those things at the time of making the special mention. I will straightway come to the point.

I would like to know whether the SP and the District Magistrate were given orders on telephone that they have been transferred. This is number one.

Secondly, I would like to know whether the Home Minister and the IG, both were at Bharatpur on the 5th and 6th when this incident took place.

Thirdly, on the day when the Panchayat meeting took place, some MLAs and MPs were present over there. Who were those MLAs and MPs and to which party do they belong"

Lastly, the statement mentions something about the amount of money that has been distributed by way of relief. You are aware that

[Shri Prakash Yashwant Ambedkar]

I have written one letter to you regarding a woman in the Bharatpur hospital who was not attended to properly. This woman was injured in the said riot. Now, she has developed a maggot in her left leg. Even the medical team which had gone from Delhi to see the injured, have submitted a report to the Home Minister stating what kind of medical treatment has been given. I would like to know from the hon. Home Minister whether the report which has been given to you by the State Government and the information collected by the CBI, both of them, tally. May I know whether the State Government is involved in this incident or not? I know, from time immemorial, there have been riots throughout this country, right through the ages. I am not going to make any serious attempt to suggest how to correct this position and when I come to the question of correcting the position, I would suggest that it is not just by controlling the riots or by giving some help to the victims, but by coming to the crux of the issue since we have a social system which believes in the superiority of some persons over others, which believes in the superman theory and due to this theory, some people feel that they are superior to others. This kind of attitude which has developed over a period of time has given rise to a belief that there are some communities which should remain as slaves. Are you going to correct this line of thinking or not? Are you going to attack it or not? If you are not going to attack it, let me warn you—Mr. Jogi was one who got agitated and who revolted. I know today this is one incident. It was emotional. But let me tell you there are people who are unemotional outside. I had gone there at that time also. He had made very great efforts. All the team have made very great efforts to see that there is no retaliation. I know what Jatavs can do. They are manufacturers of crackers, as has been stated. Had not the team visited, there would have been more carnages of this kind. Let me warn those people who believe in this theory and those who think that they will have the *dalits* and the tribals at their disposal, that it may be in their interest to be their masters. I think the revolt against them was started by my grandfather and also by others —the hon. Member Shri Sushil Kumar Shinde referred to it and he went to the extent of renouncing the religion. But let me tell you that renouncing of that religion had one more issue which he had mentioned. He said that we have secularism in this country, we have a totalitarian attitude in this country and in this type of totalitarian attitude which we see today, unless these forces are democratised, we don't have social equality and those who labour under social inequalities will one day start revolting as we have seen there. Jogi was revolting against it; the Chair was very much agitated by the attitude, but I will say that was his voice, inner voice, which he was speaking out. Therefore, I appeal to the hon. Home Minister let us make an attempt—I know there have been atrocities, as I have said—and once and for all define that if in any State where the Government perpetuates or is party to the atrocities committed, there we will use article 356. I know many of them will not agree to it. We have dismissed Governments on flimsy ground. This is a solid ground on which we can act. And if your CBI report is right—I have information that it has been delivered to you—wherein it has been stated that the Government machinery is involved, I would say, let the masses know, let those people who are committing it know that the Government will not hesitate to use article 356 against that State. Let me tell you one thing that we had a boundary dispute in sixties, a State dispute, if I may call it. Morarji Desai was the Chief Minister and there were riots, but he controlled the riots within a few hours. Wherever riots took place, he had immediately fined those villages and in those days

the fine which were collected were more than a lakh of rupees. The agitation went on, but no killing took place, no fire took place and no property was burnt. That was the way in which he controlled the State issue, the Gujarat-Maharashtra State issue, a bilingual State issue. I request the hon. Home Minister to think on the line of puttng a fine on those villages which participate in this kind of atrocities.

Last but not the least. I know no machinery, no State Government, neither the police will be in a position to protect the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as long as all of us are part and parcel of that BJP line which is thinking in terms of building Ram Mandir—I see Ram Mandir not as an anti-Muslim propaganda as it has been using it; but it is basically used to propagate the atrocities against dalits. Madam Vice-Chairman, I don't want to come to it now. May I ask the hon. Home Minister to provide arms licence to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to protect themselves as long as this kind of things go on? And I do hope that the Government will definitely consider this time looking into the atrocities that have been committed. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Shrimati Satya Bahin.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Uttar Pradesh): How many Members will speak? Will all the listed Members speak?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): It is not like that; as long as time permits.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : दूसरी पार्टी को भी देना चाहिए। आप सारे कांग्रेस के ही खड़ी कर रही हैं ... **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I am sorry, there are a lot of Congress Members, Mr. Mathur. There are a lot of Members who are not called.

श्रीमती सत्या बहिन : अरे बहुत कुछ कह चुके हैं माथुर जी कम से कम बोलने तो दीजिए... **(व्यवधान)**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं प्रोसीजर पूछता हूं प्रोसीजर क्या है ? What is the procedure?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): The procedure is the discretion of the Chair.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप खुल्लमखुल्ला कर रही है... **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): The procedure is the discretion of the Chair.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप डिस्क्रैशन कांग्रेस के पक्ष में कर रही हैं ... **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): The procedure is the discretion of the Chair.

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) : एक महिला खड़ी हुई तो आपको आपत्ति हो गई... **(व्यवधान)**

श्रीमती सत्या बहिन : आपकी सरकार ने तो यह झूठ का पुलिंदा भेजा है। आप क्या बोलेंगे इस पर ... **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): There is no ceiling, Mr. Mathur. It is the discretion of the Chair.

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र) : इतने गंभीर विषय पर एक महिला

[कुमारी सरोज खापर्डे]

बोलने के लिए खड़ी है यह भी आपको बरदाश्त नहीं होता... (**व्यवधान**) उस समाज की महिला बोलने के लिए खड़ी हो गई... (**व्यवधान**) Is it notatrocity on the *Mahila* by the BJP? (*Interruptions*)...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: मैं तो सारे कांग्रेस वालों को महिलाएं मानने के लिए तैयार हूं... (**व्यवधान**)

SHRI P. SHIV SHANKER (Gujarat): If you disagree with her, she agrees with you that you don't have any allergy towards women.

श्रीमती सत्या बहिन: आपकी सरकार ने तो यह झूठ का पुलिंदा भेजा है आपको क्या अधिकार है बोलने का ... (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Satyaji, please be very brief now. (*Interruptions*)... Please be very brief.

श्रीमती सत्या बहिन: मैडम मैं बोल रही हूं वह बोलने नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैडम, बड़े दुख और चिंता की बात है कि इसी सदन में और दूसरे सदन में भी दलितों की सामूहिक हत्याओं पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। चाहे देश के किसी कोने में हुई हों, किस भी सरकार के शासित राज्य में हुई हों लेकिन क्या कभी इस पर विराम लगेगा, सवाल यह पैदा होता है। अत्याचार होते हैं, उस पर चर्चा होती है कानून बनते हैं लेकिन अमल नहीं हो पाता और फिर वही ढाक के तीन पात। सहोदया, आज इस चर्चा के दौरान सभी सदस्यों ने दलों से ऊपर उठकर बातें कीं और बहुत सी बातों का जिक्र किया मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहती लेकिन यह चाहती हूं कि सदन इस विषय पर कोई ठोस फैसला ले जिससे इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। सबसे चिंता की बात यह है कि जब अत्याचार होते हैं, हम चर्चा भी कर लेते हैं, दलों से ऊपर उठकर चर्चा कर लेते हैं लेकिन इसमें एक विशेष बात जो हुई है, मैं तो वहां घटनास्थल पर गई थी, आदरणीय शिंदे साहेब गए थे, और भी कई सदस्य गए थे। मैंने खुद वहां के पीड़ित लोगों की हालत और वेदना देखी और उसको बयान करने की ताकत मेरे अंदर नहीं है लेकिन सबसे निंदनीय और दर्दनाक बात जो है वह यह है कि पहली बात तो यह है कि माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, ये खुद घटनास्थल पर गए थे और क्या उन्होंने देखा पीड़ितों से मिले, क्या जानकारी उनको मिली इसका जिक्र इसमें नहीं है।

महोदया यह असत्य का पुलिंदा सिर्फ अपराधियों को बचाने के लिए लीपापोती करने के लिए और पूरी तौर से जो पीड़ित लोग हैं जो जाटव समुदाय के लोग हैं जो मारे गए हैं... जिनकी लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया है, उन्हीं लोगों को हमलावर साबित करने का प्रयास किया गया है। यह निन्दनीय बात है। मैं पूरे सदन से इस बात का निवेदन करना चाहती हूं कि पूरा सदन इस कुकृत्य के लिए निन्दा प्रस्ताव रखे उस सरकार की भी निन्दा हो।

महोदया वैसे तो बात दलों से ऊपर उठकर करने की है, लेकिन दुख इस बात का है कि इस घटना में जो बताया गया है, वह बहुत कम है। पहली तारीख से 6 तारीख तक जो तांडव होता रहा, योजनाबद्ध रीति से होता रहा, पूरी उसकी प्लानिंग की गई, पंचायतें की गई और उस पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सांसद जिन्होंने इसकी रूपरेखा बनाई और विधायक भी मौजूद थे...

श्री शिवचरण सिंह: (राजस्थान) यह गलत है, यह असत्य है। अगर वह गुनहगार साबित हो जाएं उनकी मौजूदगी

साबित हो जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा नहीं तो आप इस्तीफा दे देंगी... **(व्यवधान)**

श्रीमती सत्या बहिन : मैं जरूर दूंगी। आपकी पार्टी हमलावर है... **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Satyaji, please continue. Please make your concluding remarks. We have run out of time.

श्रीमती सत्या बहिन : इसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद् और विधायक थे। कोई भी पार्टी इस तरह के हत्याकांड में, इस तरह के अत्याचारों में शामिल नहीं होती। न केवल इनका इशारा था बल्कि ये लोग भी शामिल थे... **(व्यवधान)**

श्री शिवचरण सिंह : आपकी पार्टी के लोग भी वहां थे, जनता पार्टी के एम.एल.ए. थे... **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please seek clarifications. You please address the Chair. Please stop this. Please address the Chair and conclude.

श्रीमती सत्या बहिन : ये बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनसे कहिए कि न करें। यह कुम्हेर नहीं है यह सदन है। इनसे कहिए कि यहां डिस्टर्ब न करें... **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please stop addressing other Members. Kindly conclude.

श्रीमती सत्या बहिन : कल्याण मंत्री जी वहां बैठे हुए हैं, यह सच्चाई है। देश के विभिन्न भागों से जो रिपोर्ट आ रही हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे बड़ी है अत्याचार करने में।

[illegible] महोदया मैं वहां पर गई हूं। भरतपुर के अस्पताल में इस वक्तव्य में बताया गया है कि दो व्यक्ति एक चिकित्सक दल ने भर्ती कराए हैं और 3 व्यक्ति दूसरे दल ने इस तरह से कुल 6 व्यक्तियों का इसमें जिक्र किया गया है। लेकिन मैंने खुद वहां पर देखा है आदरणीय शिंदे साहब भी वहां गए, और लोग भी गए हैं उन्होंने खुद देखा है कि कम से कम 20 व्यक्ति ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, बेहोश हैं, बोल नहीं सकते। इसमें बताया गया कि ऐजिटेशन में तीन सौ से चार सौ लोग मारे गए। ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please conclude now. You must conclude now.

श्रीमती सत्या बहिन : महोदया, मैं बहुत संक्षेप में बोल रही हूं। मुझे बोलने का मौका दीजिए। चार सौ व्यक्ति वहां पर गए। यह कहा गया है तीन तारीख को वहां पर गाड़ी रोकी गई, उस स्टेंड पर गाड़ी रोकी गई, नारे लगाए गए। यह बिल्कुल असत्य है। यह कोई सच्चाई नहीं है। यह सिनेमा वाली घटना सही है कि वहां पर जमीन पर उनको जबरदस्ती बैठाने की कोशिश की गई। उन्होंने सिनेमा वालों से कहा कि अगर तुम हमको कुर्सी नहीं देते तो हमने पैसे खर्च किए हैं, हमको पैसे वापस कर दो।

पैसे नहीं दिए। मार-पीट कर भगा दिया। यह घटना पनवाड़ी से संबंधित है। जो पनवाड़ी में कांड हुआ था वह इलाका अभी भी जल रहा है। वह विस्फोट हो चुका है। मैं चेतावनी देती हूं कि अगर हमारी व्यवस्था नहीं संभली, यह कभी-कभी बेनकाब हो जाती है। और जो विस्फोट हो जाता है ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I am calling Mr. Obaidullah Khan Azmi.

श्रीमती सत्या बहिन : मैं सुझाव देना चाहती हूं । मेरा निवेदन यह है कि इस स्टेटमेंट में जो माननीय गृह मंत्री जी ने रखा है उसमें इस बात का कहीं जिक्र नहीं है । जो जाटव महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ जिसके संबंध में शिंदे साहब ने थोड़ा सा जिक्र किया, मुझ में ताकत नहीं कि मैं उसको बयान कर सकूं, जो उनके साथ हुआ है, सामूहिक बलात्कार लड़कियों के साथ, छात्राओं के साथ, महिलाओं के साथ, उसका कहीं जिक्र नहीं है । मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो पुलिस अधिकारी और दूसरे अधिकारी इसमें दोषी थे राज्य सरकार ने उनको इनाम दिया । मनचाहे पोस्टिंग दी । कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, तुम कमाओ, खाओ और खुश रहो तुमने हमारी मनचाही कर डाली ।

मौलाना ओवैदुल्ला खान आजमी : दूसरी जगह भी करो ।

†[مولانا عبیداللہ خاں اعظمی : دوسری جگہ بھی کرو ۔

श्रीमती सत्या बहिन : हां, जाओ दूसरी जगह भी करो । पैट्रोल पम्प के बारे में कहना चाहती हूं . . .

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती जंयती नटराजन) : आप सुझाव नहीं दे रही हैं ।

श्रीमती सत्या बहिन : मैं गृह मंत्री जी से कहूंगी कि वह पेट्रोल मंत्री को लिखें कि उनका पेट्रोल पम्प खारिज हो । सिनेमाघर का लाइसेंस कैंसिल हो । इन लोगों की गिरफ्तारी हो । इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगी कि भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया जाए । आदरणीय कल्याण मंत्री जी बैठे हैं । उनसे कहना चाहती हूं कि अट्रोसीटीज रुक नहीं सकतीं इसलिए इसमें संशोधन किया जाए । जो गुनाहगार नहीं उनको अपने बेगुनाही का सबूत देना चाहिए । अट्रोसीटीज एक्ट पास हुआ था लेकिन मैं पूछना चाहती हूं अट्रोसीटीज एक्ट में कितने केस दर्ज हुए और कितने लोगों को सजा हुई ? अगर इसका सर्वे किया किया जाए तो ये आंकड़े ताज्जुब में डालने वाले होंगे ।

माननीय महिला सदस्य: महिला आयोग ने क्या किया ?

श्रीमती सत्या बहिन : मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि एस.सी.एस.टी. आयोग बना उसको भी सक्रिय होना चाहिए, महिला आयोग को सक्रिय होना चाहिए, वहां जाना चाहिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I cannot allow you to speak any more. Please sit down.

श्रीमती सत्या बहिन : दस-दस हजार निहत्थे लोगों पर हमला करते हैं । कई बार ऐसा हो चुका है । मैं यह चेतावनी देना चाहती हूं कि अगर हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे केन्द्र सरकार की हो, नहीं चेती, तो जो कांड साडपुर और देवली में हुआ उसका बदला बहमई में हो सकता है, जो बहमई में हुआ पारसबीघा में हुआ उसका प्रतिकार गया में होता है तो उस तरह से आगे भी होता रहेगा । यह कहीं भी जाकर रुकेगा नहीं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please sit down.

श्रीमती सत्या बहिन : इन सब बातों की तरफ ध्यान देकर एक व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए और रोकने के लिए कोई खास सुझाव देने चाहिए और उन पर अमल होना चाहिए । मैं गृह मंत्री जी को आखरी निवेदन करना चाहती हूं कि अपने जवाब में वह बतायें जो उन्होंने वहां जाकर देखा । जो उन्होंने महसूस किया । यह नहीं कि झूठा पुलंदा जो मुख्य मंत्री ने दिया है गुनाहगारों को बचाने के लिए वही कहें बल्कि उसको बेनकाब करें । धन्यवाद ।

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी : शुक्रिया मैडम, वाइस चेयरमैन, कुम्हेर के दर्दनाक सूरतेहाल पर इस वक्त इस मोजिज हाउस में तमाम पार्टीज की तरफ दलितों पर होने वाले जुल्मोसितम के खिलाफ जबर्दस्त मजम्मत आ रही है। यकीनन जुल्म के खिलाफ मजलूम की हिमायत में बेगर्जी दिखलाते हुए खुदगर्जी को खत्म करते हुए सच्ची बात कहना इंसानियत और शराफत की अलामत है।

मैंने जो कुछ इस फसादात पर महसूस किया है, अभी हाउस में बैठे-बैठे उन्हें मैं दो तीन शेर की शक्ल में पेश करना चाहता हूं --

कुम्हेर की धरती पर तबाही का यह मंजर,
इंसानियत का कत्ल है, भारत का मर्डर,
गांधी के लहू चूसने वाले ये दरिन्दे,
मानवता के दुश्मन हैं, शैतान के लश्कर,
लटका दो उन्हें फांसी के फंदों पर नहीं तो,
मिट जाएगा भारत में अहिंसा का मुकद्दर।

मैडम वाइस चेयरमैन, इस कत्लोगारतगिरी की पूरी तफसील हमारे मुअज्जिज मैम्बरान ने पार्लियामेंट के जरिए हाउस में आपके सामने आ चुकी है। मुझे अफसोस है कि मरकजी हुकुमत के बयान पर जिसने हमेशा की तरह इस बार एक मरतबा फिर पूरे हाउस को दामे फरेब में लाने की कोशिश की है। मरकजी हुकुमत ने पार्लियामेंट में जो बयान दिया है वह गलतबयानी और गुमराह करने वाली रिपोर्ट पर एकसर मुसतमिल है। रह गई बात यह कि मरकजी हुकुमत ने यह रिपोर्ट राजस्थान की हुकूमत के इशारे पर दी है, उनके बताए हुए कागजात पर अपने दस्तखत कर दिए है या खुद मरकजी हुकूमत की अपनी राय है। मरकजी हुकूमत के पास अगर जमीर और गैरत नाम का चालीसवां हिस्सा बतौर खैरातों जकात मौजूद होगा, वह अपने मौकफ को वापस करेगी। मैं इस सिलसिले में यह अर्ज करना चाहूंगा कि जाति-पाति के नाम पर कुम्हेर में हुए फसाद को एक माह का अर्सा गुजर चुका है। एक फर्जी कहानी बना कर कुम्हेर के दलितों को उसी तरह बर्बाद किया गया है जिस तरह मुल्क के तमाम फसादात में मुल्क दुश्मन अनासिर और पुलिस में वर्दी के अंदर छुपे हुए वे दरिन्दे करते आ रहे है जिन्हें सिर्फ इंसानियत का खून चूस कर अपने शीश महल की तामीर करने में मजा आता है। जात बिरादरी के लोगों ने सौलह गांवों की बैठक बहरबाग चाबाड मंदिर के अन्दर 7-8 जून, 1992 की दोपहर में की और उसमें यह तय किया गया कि उस इलाके के दलितों का दिमाग आसमान पर पहुंच गया है, अब उन्हें मार कर दुरुस्त कर देना चाहिए। पंचायत के इस फ़ैसले के बाद फ़ौरन हथियार बन्द फ़सादी ट्रैक्टरों में पैट्रोल डिब्बों के साथ रवाना होते हैं। रास्ते में दलितों के खलियान और जलावन की लड़कियों को आग लगाते हुए आबादी में पहुंचते हैं। । देखते-देखते इंसानियत के आसयाने में आग लगती है। परचतमें सोले बुलन्द होकर इंसानियत की कराह और इंसानियत की लडफ़ने वाली सदा को पूरी दुनिया में मुजलूकों के हवाले कर देता है। जो लोग नहीं भाग सके, उन लोगों की उन फ़सादी इंसानियत के दुश्मन दरिन्दो ने मौके वारदात पर ही पकड कर बेदर्दी के साथ जिबह कर दिया। यह कार्यवाही तकरीबन सात घंटे तक चलती रही। मैं अपने मुअज्जिज नायम वजीरे दाखला से सफ़ाई के साथ यह पूछना चाहता हूं कि इनकी पुलिस उस सात घंटे में क्या राजस्थान छोडकर दिल्ली आ गई थी ? उस इलाके से क्या उस पुलिस ने अपनी वर्दी उतार कर खुद फ़साद करने वालों के साथ अपने को खरीखे सफ़र कर दिया था या वह पुलिस अंधी हो गई थी बहरी हो गई थी, गूंगी हो गई थी। खामोश तमाशाई बन कर पुलिस ने फ़सादियों का हौसला बढाया और मुअतबर जारीय से यह पता चला है कि पुलिस के जिम्मेदार अफसरान खुद उस फ़साद की आग को भड़काने में फसादियों का हौसला बढ़ा रहे थे। संथल गांव में तीन आदमी जिन्दा जला दिए गए। उस गांव में सिर्फ एक अकेली औरत हरदेई देवी रह गई जिसके दो बेटे, दो बहू और दो पोते अब तक गायब हैं। हैं। ऐसी सूरत में अब तो सिर्फ रस्मो-रिवाज की बात, जैसे अभी एक मेंबर

[मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी] साहबान ने भी कहा है सही कहा है कि जिस वक्त भी फसाद होते हैं, यहां घड़ियाली आंसू बहाकर मामले को रफा-दफा कर दिया जाता है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस फसाद में मरने वालों की रूहों के साथ भी यही खिलवाड़ हुकूमत करेगी या हुकूमत अपने फर्ज को निभायेगी ? आप शपथ ग्रहण करके, कानून की मर्यादा, कानून की इज्जत इसकी शपथ खा रखी है । मगर आज हिन्दुस्तान की सरजमीं पर कानून की मर्यादा जिस तरह से भंग हो रही है, कानून को जिस तरह से हर्फेगलत साबित किया जा रहा है और मरकजी हुकूमत और सूबाही हुकूमतें जिस तरह से बेवक्त तमाशाई बनकर हिन्दुस्तान के दस्तूर का मुंह चिढ़ा रहे हैं उससे पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान का सेकुलरिज्म कलंकित होकर रह गया है । आज सारी दुनिया का दिलोदिमाग यह बन रहा है कि अब हिन्दुस्तान में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गयी । गुंडे दरिंदे, फसादी हिन्दुस्तान के कानून के आशियाने में भी आग लगा रहे हैं और हिन्दुस्तान की मानवता को जिबह कर रहे हैं । ऐसी सूरत में मैं नायब वजीरे दाखिला से दो-तीन सवाल करना चाहूंगा ।

पहला, क्या अभी कुम्हेर की सरजमीं पर तनाव बना हुआ है और अगर बना हुआ है तो उसे खत्म करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

दूसरा, आपने जो जज, न्यायिक जांच के लिये मुकर्रर किया है, उसकी रिपोर्ट सरकार पार्लियामेंट में कब तक रखेगी और उसकी रिपोर्ट कब आयेगी ?

तीसरा, सी०बी०आई०, की जो इन्क्वायरी मरकजी हुकूमत डाइरेक्ट करवा रही है, वह रिपोर्ट कब तक आयेगी और उसे पार्लियामेंट में सरकार कब रखेगी ?

चौथा है कि जिन पुलिस वालों ने लूट, कत्लो-गारद और आजगनी का माहौल बनाकर जुल्म किया है, उन्हें सरकार बरखास्त करके क्या जेल में डालेगी ?

पांचवां और आखिरी सवाल मेरा यह है, अभी शिन्दे साहब ने जो कुछ कहा मैं उसकी हरफ-बहरफ तस्दीक करता हूं । मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वे कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, आल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं । उनकी बड़ी तजुर्बेकार निगाहें हैं और वे पूरे मुल्क में दौड़ धूप करते हैं और काम करते हैं । दर्दमंदों के हालत बड़ी दर्दमंदी के साथ उन्होंने इस हाऊस के सामने पेश की है । मैं भी जनता दल का एक छोटा सा जनरल सेक्रेटरी हूं । हम-रुतबा, हम-ओहदा, इस पोर्टफोलियो की बुनियाद पर और इस पार्लियामेंट का मेंबर होने के नाते मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि शिन्दे साहब बड़ी दर्दमंदी से, बड़ी सच्चाई के साथ उस तबाही को महसूस करते हैं और उन्होंने अपने सदाये दर्दमंद को पार्लियामेंट के अंदर रखा और उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि यह बड़ी शर्मनाक बात है कि मुल्क में आजादी के बाद भी इंसानियत इस तरह कराह रही है और मजलूम आदमियों को खाहिशोद की सलीब पर लटका कर फांसी दी जा रही है । मैं सिर्फ अपनी एक बात नायब वजीरे दाखिला से कहना चाहूंगा कि शिन्दे साहब को इस शर्मनाक पहलू को देखते हुए दर्द उठा और उन्होंने इसे मैं शर्मनाक घटना बतलाया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस शर्मनाक घटना पर हमारी मरकजी सरकार को भी शर्म आ रही है या नहीं आ रही है ? हर गैरतदार आदमी का सर आज शर्म से झुक रहा है । यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि अयोध्या मसले पर भी इस मरकजी सरकार ने जिस बेशर्मी से, अदालत के हुक्म

के बावजूद अपने को जिम्मेदारियों से अलग रखा है, उससे भी पूरे मुल्क का सर शर्म से झुक गया है । कानून की मर्यादा को जिन्दा रखने के लिये यह सरकार क्या अपने फरायज को पूरा करेगी, यह मैं जानना चाहूंगा । आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया ।

مولانا عبید اللہ خاں اعظمی "اتر پردیش" شکریہ میڈم وائس چیرمین۔ کھیر کے دردناک صورت حال پر اس وقت اس معزز ہاؤس میں تمام پارٹیز کی طرف سے دلتوں پر ہونے والے ظلم وستم کے خلاف زبردست مذمت آرہی ہے۔ یقیناً ظلم کے خلاف مظلوم کی حمایت میں بے غرضی دکھلاتے ہوئے خود غرضی کو ختم کرتے ہوئے سچی بات کہنا انسانیت اور شرافت کی علامت ہے۔ میں نے جو کچھ اس فسادات پر محسوس کیا ہے۔ ابھی ہاؤس میں بیٹھے بیٹھے۔ انھیں میں دو تین شعر کی شکل میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔

کھیر کی دھرتی پر تباہی کا یہ منظر
انسانیت کا قتل ہے۔ بھارت کا مرڑ
گاندھی کے لہو چوسنے والے یہ درندے
مانو تا کے دشمن ہیں شیطان کے لشکر
لٹکا دو انھیں پھانسی کے پھندوں پر ہیں تو
مٹ جائے گا بھارت میں اہنسا کا مقدر

میڈم وائس چیرمین۔ اس قتل وغارتگری کی پوری تفصیل ہمارے معزز ممبران پارلیمنٹ کے ذریعے ہاؤس میں آپ کے سامنے آچکی ہے مجھے افسوس ہے کہ مرکزی حکومت کے بیان پر جس نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ایک مرتبہ پھر پورے ہاؤس کو دانم فریب میں لینے کی کوشش کی ہے۔ مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ میں جو بیان دیا ہے۔ وہ غلط بیانی اور گمراہ کرنے والی رپورٹ پر یکسر مشتمل ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ مرکزی حکومت نے یہ رپورٹ راجستھان سرکار کے اشارے پر دی ہے۔ ان کے بنائے ہوئے کاغذات پر اپنے دستخط کر دیئے ہیں۔ یا خود مرکزی حکومت کی اپنی رائے ہے۔ مرکزی حکومت کے پاس اگر ضمیر اور غیرت نام کا چالیسواں حصہ بھی بطور خیرات وزکوٰۃ موجود ہوگا۔ وہ اپنے موقف کو واپس کرے گی۔ میں اس سلسلہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ذات پات کے نام پر کھیر میں ہوئے فساد کو ایک ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ایک فرضی کہانی بنا کر کھیر کے دلتوں کو اسی طرح سے برباد کیا گیا ہے جس طرح ملک کے تمام فسادات میں ملک دشمن عناصر اور پولیس میں وردی کے اندر چھپے ہوئے

†] Transliteration in Arabic Script.

پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی پولیس اس سات گھنٹے میں کیا راجستھان چھوڑ کر دلی آگئی تھی۔ اس علاقے سے کیا اس پولیس نے وردی اتار کر خود فساد کرنے والوں کے ساتھ اپنے کو شریکِ سفر بنا لیا تھا۔ یا وہ پولیس اندھی ہو گئی تھی۔ بہری ہو گئی تھی۔ گونگی ہو گئی تھی۔ خاموش تماشائی بن کر پولیس نے فسادیوں کا حوصلہ بڑھایا۔ اور معتبر ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ پولیس کے ذمہ دار افسران خود اس فساد کی آگ کو بھڑکانے میں فسادیوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ سنتھل گاؤں میں تین آدمی زندہ جلا دیئے گئے۔ اس گاؤں میں صرف ایک اکیلی عورت ہردیبی دیوی رہ گئی جس کے دو بیٹے۔ دو بہو۔ اور دو پوتے اب تک غائب ہیں۔

ایسی صورت میں اب تو صرف رسم و رواج کی بات جیسے ابھی ایک ممبر صاحب نے بھی کہا ہے اور صحیح کہا ہے کہ جس وقت بھی فساد ہوتے ہیں۔ یہاں گھڑیالی آنسو بہا کر معاملے کو رفع دفع کر دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس فساد میں مرنے والوں کی روحوں کے ساتھ بھی یہی کھلواڑ حکومت کرے گی یا حکومت اپنے فرض کو نبھائے گی۔

وہ درندے کرتے آرہے ہیں جنھیں صرف انسانیت کا خون چوس کر اپنے شیطانی محل کی تعمیر کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ذات برادری کے لوگوں نے سولہ گاؤں کی بیٹھک بہر باغ چاوڑ مندر کے اندر سات، آٹھ جون ۱۹۹۲ء کی دوپہر میں کی۔ اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ اس علاقے کے دلتوں کا دماغ آسمان پر پہنچ گیا ہے۔ اب انھیں مار کر درست کر دینا چاہئے۔ پنچایت کے بعد فیصلے کے بعد فوراً ہتھیار بند فسادی ٹریکٹروں میں پٹرول کے ڈبوں کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں دلتوں کے کھلیان اور جلاون کی لکڑیوں کو آگ لگاتے ہوئے آبادی میں پہنچتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے انسانیت کے آشیانہ میں آگ لگتی ہے۔ پرچم شعلہ سُرخ بلند ہو کر انسانیت کی کراہ اور انسانیت کی تڑپنے والی صدا کو پوری دُنیا میں مظلومیت کے حوالے کر دیتا ہے۔ جو لوگ نہیں بھاگ سکے۔ ان لوگوں کو ان فسادی انسانیت کے دشمن درندوں نے موقع واردات ہی پر پکڑ کے بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا۔ یہ کارروائی تقریباً سات گھنٹے تک چلتی رہی۔ میں اپنے معزز نائب وزیر داخلہ سے صفائی کے ساتھ یہ

سرکار پارلیمنٹ میں کب تک رکھے گی اور اس کی رپورٹ کب آئے گی۔

تیسرا میں یہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حکومت ڈائریکٹ کروا رہی ہے۔ وہ رپورٹ کب تک آئے گی اور اسے پارلیمنٹ میں سرکار کب رکھے گی۔

چوتھا یہ ہے کہ جن پنچایتوں والوں نے اور جن آفیسروں نے آگ زنی کا ماحول بنا کر تسلیم کیا ہے۔ انہیں سرکار برخاست کر کے کیا جیل میں ڈالے گی۔

پانچواں اور آخری سوال میرا یہ ہے ماننیہ شنکر سے صاحب نے جو کچھ کہا میں اس کی مکمل طور پر تصدیق کرتا ہوں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کانگریس پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں یا آل انڈیا جنرل سیکرٹری ہیں۔ انکی بڑی تحریر کا رنگا ہوا ہیں اور وہ پورے ملک میں دورہ دھوپ کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ دردمندوں کے حالات بڑی دردمندی کے ساتھ انہوں نے اس ہاؤس کے سامنے پیش کئے ہیں۔ میں بھی ہندوستان کا ایک چھوٹا سا جنرل سیکرٹری ہوں۔ ہم زنبہ ہم عہدہ اس رپورٹ فولیو کی بنیاد پر اور اس پارلیمنٹ کا ممبر ہونے کے ناطے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ

آپ شنیشور گرو نانک کے۔ قانون کی مریادا۔ قانون کی مرکزت اور آشیرواد آپ نے کیا رکھی ہے۔ مگر آج ہندوستان کی سرزمین پر قانون کی مریادا جس طرح سے ٹوٹ رہی ہے۔ قانون کو کمزوری سے طرف غلط ثابت کیا جا رہا ہے۔ اور سرکاری مشینری اور عوامی طاقتیں جس طرح سے ایک وقت کا انتظار کر رہی ہیں کہ ہندوستان کے دستور کا منہ چڑھا رہے ہیں اس سے پوری دنیا میں ہندوستان کا سیکولرازم کلنک ہو کر رہ گیا ہے۔ آج ساری دنیا کا دل و دماغ یہ کہہ رہا ہے۔ کہ اب ہندوستان میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ غنڈے۔ درندے۔ فسادی ہندوستان کے قانون کے آشیانے میں بھی آگ لگا رہے ہیں۔ اور ہندوستان کی مانوتا کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں میں نائب وزیر داخلہ سے دو تین سوال پوچھنا چاہتا ہوں گا۔

[illegible] کی سرزمین پر [illegible] ہوا ہے اور کیا ہوا ہے [illegible] ختم کرنے کے لئے سرکار کیا قدم اٹھا رہی ہے۔

دوسرا آپ نے جو جج نیایک جانچ کے لئے مقرر کیا ہے۔ اس کی رپورٹ

شندے صاحب بڑی دردمندی سے بڑی سچائی کے ساتھ اس تباہی کو محسوس کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے صدائے دردمند کو پارلیمنٹ کے اندر اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ بڑی شرمناک بات ہے کہ ملک میں آزادی کے بعد بھی انسانیت اس طرح سے کراہ رہی ہے اور معلوم آدمیوں کو خواہشوں کی صلیب پر لٹکا کر پھانسی دی جا رہی ہے۔ میں صرف اپنی ایک بات نائب وزیر داخلہ سے کہنا چاہوں گا کہ شندے صاحب کو اس شرمناک پہلو کو دیکھتے ہوئے درد اٹھا اور انہوں نے اسے شرمناک گھٹنا بتلایا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس شرمناک گھٹنا پر ہماری مرکزی سرکار کو بھی شرم آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ ہر غیرت دار آدمی کا سر آج شرم سے جھک رہا ہے۔ یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایودھیا مسئلے پر بھی اس مرکزی سرکار نے جس بے شرمی سے عدالت کے حکم کے باوجود اپنے کو ذمہ داریوں سے الگ رکھا ہے۔ اس سے بھی پورے ملک کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ قانون کی مریادا کو زندہ رکھنے کے لئے یہ سرکار کیا اپنے فرائض کو پورا کرے گی یہ میں جاننا چاہوں گا۔ آپکا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ

"ختم شد"

श्री आनन्द प्रकाश गौतम (उत्तर देश): उपसभाध्यक्ष महोदय, कुम्हेर की इस घटना की जितनी निन्दा की जाय, कम है । आज माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से माननीय सदन में एक वक्तव्य आया है, जिसमें घटनाक्रम का जिक्र है । इसमें यह साफ लिखा गया है कि राजस्थान राज्य सरकार द्वारा सूचित की गई घटनाओं का ब्यौरा जो वक्तव्य में है वह नीचे दिया जा रहा है ।

सबसे पहले आपके माध्यम से माननीय महोदया, मैं भारत के गृह राज्य मंत्री जी से, जो स्वयं घटनास्थल का दौरा कर चुके हैं और जो व्यक्तिगत रूप से उन घटनाओं से परिचित हैं, उसकी जानकारी उनको है, मैं यह जानना चाहूंगा कि यह सारा घटनाक्रम जो राज्य सरकार ने दिया है क्या माननीय मंत्री जी उस घटनाक्रम से सहमत हैं, उस रिपोर्ट से सहमत हैं ?

और यदि सहमत है तो यह कहने में और मानने में कहीं भी संकोच नहीं कर सकता हूं कि शायद कहीं इस सरकार का भी उसमें हाथ रहा हो । जो सूचना माननीय गृह मंत्री जी ने राज्य सरकार के माध्यम से उनकी सूचना पर आधारित सूचना दी है, यदि उस सूचना से वह सहमत नहीं हैं तो माननीय मंत्री जी ने अपने स्पष्ट विचार उन बिन्दुओं के बारे में क्यों नहीं सदन में रखे ? यह मैं समझता हूं कि माननीय सदन के प्रति एक ऐसी बात है जो विश्वास करने लायक नहीं है और ऐसी परम्परा सदन में नहीं होनी चाहिए । आगे मैं सदन के बारे में बहुत अधिक चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी चर्चा इस घटना के बारे में माननीय सदस्यों के द्वारा हो चुकी है । अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने अपने बयान में यह कहा कि शायद मरने वालों को जो अनुदान दिया गया एक लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से उससे मरने वालों की संख्या निश्चित की जाती है और निश्चित हो सकती क्योंकि जिसके घर का कोई व्यक्ति मर गया होगा वह निश्चित ही

एक लाख रुपए के अनुदान के लिए सारी कोशिशें कर रहा होगा या कोशिश की होगी । ऐसी मान्यता है । इसलिए, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का भी यही दृष्टिकोण है ? जब 15 या 17 लाख रुपए अनुदान के रूप में मृतकों के परिवार वालों को बांटे गए हैं, क्या उससे ही मृतकों की संख्या निर्धारित हो सकेगी ? इस संबंध में अपने विचार रखते हुए यह कहना चाहूंगा कि करीब डेढ़-दो सौ लोग अपने घरों से गायब हो गए हैं। आज तक डेढ़ महीना बीत चुका है लेकिन उनका कुछ पता नहीं है। उनके घर वाले बार बार यह कहते हैं कि निश्चित रूप से आतताई लोगों ने कहीं रास्ते में उनको मार डाला है । आज तक वापिस नहीं आए, इसलिए उनको मरा हुआ न मानने का कोई भी कारण नहीं है । मरा हुआ मानने का कारण सरकार के सामने यह है कि वह जो अनुदान देती है । वही प्रमाणित करता है। यदि उसके सामने लाश मिले तो मरा हुआ माना जाएगा कि मरा हुआ है । यदि लाश बरामद नहीं हुई तो सरकार भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम लोग जो घटना स्थल पर पिछली 18 जून को गए थे, सब ने देखा कि जो कुंडे के मिठरे थे, उनमें जली हुई हड्डियां मिली । इसलिए उनका कोई पोस्टमार्टम भी नहीं किया जा सका । इसलिए उन मरने वालों की संख्या अनुदान के आधार पर निर्धारित किया जाना नितांत बेईमानी है । महोदया, इस घटनाक्रम में स्पष्ट रूप से वक्तव्य के पेज-2 दो यह कहा गया है कि जब ट्रैक्टर और ट्रालियों से आततायी लोग गांव का घेराव करने जा रहे थे तो पुलिस अधीक्षक और ए०डी०एम० भरतपुर द्वारा इनका रास्ता रोकने के प्रयास के बावजूद भी लोग गांव में घुसे और घरों, दुकानों को जलाया और नरसंहार किया । इसमें यह कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि जब एस० पी० और ए०डी०एम० और फोर्स मौके पर मौजूद है और उनको रोकने का प्रयास किया तो क्या इसमें कोई और बड़ी घटना हो सकती थी जिसमें पुलिस फायरिंग होगी उनको रोकने के लिए फायर किया होता गैस के गोले छोड़े होते कौन सा प्रयास वहां हुआ ? सब से बड़ी अफसोस की बात यह है कि जब घटना क्रम एक हफ्ते तक चला और हर आदमी यह निश्चित रूप से जान गया कि इस घटना के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है मेरी समझ से सरकार के लोग भी जान रहे होंगे । अखबारों के माध्यम से यह चर्चा आई कि प्रशासन ने मुख्य मंत्री जी को इस बात की सूचना दी थी कि यह घटना इस प्रकार से हो सकती है । लेकिन उस रिपोर्ट के प्रति मुख्य मंत्री जी की यह जो उदासीनता है उनको कहीं कहीं संदेह के घेरे में खड़ा करने से अलग नहीं हो सकती है । (समय की घंटी) महोदया यह तो इस तरह की बात है यह जो कुम्हेर की घटना है यह कोई आखिरी घटना नहीं है इसके पीछे यही नहीं है कि कुछ लोगों की यह साजिश है इसमें पुलिस प्रशासन वहां के राजनीतिज्ञों की उदासीनता और राज्य सरकार की प्रत्यक्ष और परोक्ष भूमिका का कहीं न कहीं पता चलता है । भरतपुर जिले में घधकता जातिगत विद्रोह और हिंसा के पीछे एक राजनीतिक सामाजिक समीकरण सक्रिय है ।

मैं भारत सरकार से यह कहना चाहता हूं कि क्या इन दलितों की इन दलितों की सुरक्षा की जो कि देश का एक बहुसंख्यक समाज है और शोषण का शिकार है उसको क्या राज्यों के ऊपर ही हमेशा छोड़ा जाता जाएगा । भारत सरकार इसमें क्या भूमिका अदा करेगी या केवल यह बहाना करेगी कि यह राज्य सरकारों का मामला है । मैं समझता हूं कि पिछला इतिहास देखा जाए तो हर राज्य के तमाम राज्यों में इस प्रकार की घटनायें घटी और हम लोग उसको राज्यों की जिम्मेदारी पर छोड़कर राज्यों के कंधों पर जिम्मेदारी छोड़कर अपने कर्तव्य की इतिश्री मानकर यहां बैठ जाते हैं । मैं आज माननीय सदन के माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि वह घटना जो कुम्हेर में हुई है क्या इसमें भी भारत सरकार की वही भूमिका होगी कि उस सरकार की जिम्मेदारी है ? उनके बयानों को लेकर हम सब लोग इतने बड़े दर्दनाक नरसंहार को क्या केवल राज्य सरकार के ऊपर छोड़ देंगे ? आगे

[श्री आनन्द प्रकाश गौतम]

उनकी सुरक्षा या उनके भविष्य के बारे में सोचने के लिए क्या हम बाध्य हैं या उनके लिए इस प्रकार की धारणायें रखते हैं या नहीं रखते हैं ...(समय की घंटी)

किस प्रकार की ये घटनायें हुई हैं स्पष्ट लगता है कि कहीं न कहीं प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया है उसकी। उस समय जब देश में दलित राष्ट्रपति बनाए जाने की मांग जोरों पर थी शायद यह नरसंहार उसका प्रतीकात्मक उत्तर हो सकता है। जिस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में वहां पर नरसंहार हुआ उसकी कल्पना भी आज हमारे दिलों को दहला देती है। दंगों को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन की जैसी ढिलाई देखी उसके पीछे क्या कारण हो सकता है क्या उद्देश्य हो सकता है। क्या भारत सरकार इस गहराई की जानबीन करने की इच्छा रखती है और उस दिशा में क्या सक्रिय कदम उठाए जाने की कोई योजना बना रही है ..(समय की घंटी)।

महोदया इस प्रकार की घटनायें देश में पहले भी हुई हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि आगे भी इसी प्रकार की घटनायें होती रहेंगी यदि हम अपना रूख इसी प्रकार का रखेंगे। आज की यह घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इसके माध्यम से जिस प्रकार से जाटवों के खून से रंगा एक दर्जन मासूम लोगों के खून से रंगा हुआ धब्बा भारत के लोकतंत्र के माथे पर लगा है इसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं समाज के लोगों की है सरकार की है और प्रदेश सरकार की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर इसमें भारत सरकार की क्या भूमिका है और जिस प्रकार से मांग की गयी है कि जो लोग इसमें शामिल हैं ..(समय की घंटी) उनको किस प्रकार से दंडित किया जाएगा। अगर उनको दंड नहीं मिलता है तो आगे इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रुकने वाली नहीं है। महोदया यह एक गम्भीर घटना है ... (समय की घंटी) एक मिनट . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please conclude now. You have taken a great deal of time. I will call the Minister now.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश): महोदया माननीय मंत्री अभी उत्तर देंगे। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं और वह आपकी अनुमति से करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

AN HON. MEMBER: He has not yet finished.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Mr. Gautam, you have to conclude now.

श्री आनन्द प्रकाश गौतम: मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो उनके संबंधों का प्रश्न है हमारे कानून जिस प्रकार से इन अपराधों के अपराधियों को दंडित करने आड़े आ रहे हैं तो इसके कारण इनको कहीं न कहीं संशोधनों की आवश्यकता है। इसलिए उन संशोधनों को ला करके भारत सरकार क्या उचित कदम इसने उठाने जा रही है मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी का इस पर स्पष्ट वक्तव्य आना चाहिए। और यह घटना इस प्रकार से थी जिसमें माननीय सदस्यों को बहुत पूरे विस्तार से लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते थे, , लेकिन यह जो विधा अपनाई गई हमारे यहां इस सदन के लिए इस कालिंग अटेंशन की कि इसमें यह पूरी बातें नहीं आ जायें। मैं चाहूंगा कि इसमें एक विस्तृत रूप से सरकार चाहे सुओ मोटू स्टेटमेंट दे और चाहे सदन के माध्यम से इसकी एक और विस्तृत चर्चा इस सदन में कराई जानी चाहिए।

श्री राम नरेश यादव: मंत्री जी आपकी अनुमति से एक सवाल करना चाहता हूं ... (व्यवधान) बहुत छोटा सा सवाल है। प्रश्न यह है कि जिस पेतगोर गांव के सारे दो हजार के लोग

चले ट्रेक्टर से चले, हथियार लेकर आए, और सब चीजो से लैस हो करके वहां पर पूरे गांव में कोहराम मचा दिया, एक तरह से वहां पर जलियावाला बाग का सा कांड रच दिया, मैं यह पूछना चाहता हूं क्या माननीय मंत्री जी वहां पर जब अधिकारी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में घटना हुई , तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है । यदि नही दर्ज हुई है तो क्या आप प्रदेश सरकार को निर्देश देंगे या सी०बी०आई० को निर्देश देंगे कि उन सारे अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाए ? क्योंकि उन अधिकारियों की मिलीभगत से शासन और प्रशासन, दोनों ने मिल करके इस तरह का निर्णय, जघन्य नरसंहार कराया है, जो भारत के माथे पर और हमारे संविधान पर एक जबर्दस्त कलंक है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा करके कार्यवाही करने का काम करेंगे और सी०बी०आई० की रिपोर्ट जल्दी से मंगा करके सदन को भी बताने का काम करेंगे ? यही मुझे आपसे मालूम करना है ।

श्री शिवचरण सिंह (राजस्थान) : माननीय मंत्री जी,, मेरा एक प्रश्न है कि वहां इस घटना के समय कमिश्नर, डी० आई०जी० पुलिस और कलेक्टर वे किस जाति के थे, दूसरा मेरा प्रश्न है कि इस घटना से पूर्व, 6 तारीख किन-किन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल आफेंसेज के मुकदमें पुलिस में दर्ज हुए थे ?

SHRI M. M. JACOB: I am grateful to Shri Sushilkumar Shinde for initiating this discussion in the form of calling attention motion. When we all received him with applause it was said that this was his maiden speech. But after listening to his speech, I am certainly convinced that he is not a maiden because he has already delivered several speeches before and so much of expertise and precision was there in his presentation of the whole picture about the Kumher incident.

Of course, I had been to that place as I have mentioned, on the 15th to see for myself what actually was the shape of things in that village. It is also true that I had made certain requests, to the administration people present there, based on my observavations.

Mr. Shinde raised a few questions and first I must answer some of the points raised by him because he is the main mover of the calling attention motion. He asked whether there was tension in that particular area before. That is a very valid question. From all the available information including the reports of the State Government, I can say that it is true that there was tension in that area.

It was not a particular incident happening on the 6th night. Prior to this, there were incidents which show that there was tension. There was a similar incident in one place, in the month of March. Then, there was another incident in the month of May. Then, there were incidents on the 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th June. Therefore, it is true. I agree with the hon Member that there was tension in that area.

The hon. Member also raised the question above the cinema tickets; whether they were ticketless people who entered the cinema hall, or they were people who entered the cinema hall with valid tickets, but had to sit on the floor. The report has mentioned that the incident started on 1st June, when a clash took place at Sanjay Cinema in Kumher. Two cross cases have been registered, one by the Jatavs, alleging that they were beaten up while entering the cinema hall, even though they had valid tickets for the show. On the other hand, according to the management of the cinema hall, the persons wanted to enter without tickets and then there was stone-throwing, etc. Both the versions are there in the report of the State Government. It is said that they did not have tickets

[Shri M. M. Jacob]

It is also said that they had valid tickets. Therefore, when the matter...

SHRI JAGESH DESAI: It is not there in the statement.

MISS SAROJ KHAPARDE: This is not mentioned in your statement.

SHRI M. M. JACOB: I did not give any specific reaction to this, for two reasons. One is, the matter is under CBI investigation. Secondly, there is a judge appointed under the Commissions of Inquiry Act.

MISS SAROJ KHAPARDE: But you yourself had been there.

SHRI M. M. JACOB: I will not be in a position to say everything that I saw there because it has to be verified. Even things that I had seen have to be verified.

श्री कुंवर प्रिय गोतम : मंत्री जी, फिर तो आपको स्टेटमेंट एक तरह से क्या जूडिशियल इंक्वायरी को एफेक्ट नहीं करेगा ?

SHRI M. M. JACOB: Please allow me to answer to the questions one by one, to the best of my capacity, knowledge, information and my limitations in answering questions.

A question was raised about the employment of the Jatavs there. Mr. Gurudas Das Gupta asked about it, whether the cobblers were going to get jobs, etc. On the basis of my visit, I can say that they are mostly agricultural labourers. They were being employed by the Jats in that area. I really asked this question. With the tension prevailing there, what will happen to the future of the Jatavs who are agricultural labourers depending on agricultural operations? If the owners of the lands do not give employment to these people, what will happen to these people? How will they earn their livelihood? How will they earn their bread? This was a very serious matter. I told the District authorities also. I told them 'You should address this question very seriously; otherwise, they will be put to trouble; their future will be in dark.'

SHRI JAGESH DESAI: What was the response?

SHRI M. M. JACOB: Mr. Shinde also raised the question as to why we did not take note of these developments when the incident took place there. This is precisely the point about which I was also worried. I cannot hide the fact. I do not think even our friends sitting on that side, Members of the BJP,—the State Government there is run by the BJP—will disagree with me. I precisely put this queston to the people there. How many policemen were present at the spot when this incident took place. The villagers who were there readily responded that about 1,000 policemen were there. But a senior officer who was at the spot responded to me by saying, 'No; only 200—300 policemen were there.' Wherefrom they come? They are from the Rajasthan Armed Constabulary. Then, a suspicion, an anxiety, arose. Three hundred people surrounded the village and 300 policemen standing there. They had weapons because they were men from the Rajasthan Armed Constabulary. I could not understand as to where was the gap. Therefore, as a normal citizen who went there, I presumed—I cannot say what really happened; I am subject to correction—that either there was a gap before passing the order to tackle the incident, or there was delay, or, there was dereliction of duty. Now, when we took at the terms of reference of the Commission of inquiry ordered by the Rajasthan Government, I think many of the points will come out after the Inquiry as to what the fates are. Firstly, the Commission of Inquiry will enquire into the circumstances leading to the incidents of June 6, 1992 and thereafter. I think this will cover my friend's question as well as several questions

asked here. Secondly, it will also give recommendations for preventing recurrence of such incidents in future. Thirdly, it will submit its report within three months. Some hon. Members asked questions about CBI investigation, whether it is over, how long it is going to take to submit its report and all that. Well, Madam, the CBI investigation is still on, it is not over. Out of the names of 74 persons mentioned in the accused list 41 are in judicial custody, 9 bailed out, one who got injured subsequently died, and 23 persons are yet to be arrested. This is the information which we could collect about the real situation on pursuit of the case, but the real situation regarding the case itself will come out only after the investigation is over and I will not be able to reveal anything more on this. (*Interruptions*). No, it has not come to us in a report which we asked them to give. It may be the same first information report, but that cannot be called a report by itself at the moment.

Then the next question asked was how many people were missing. Neither my statement nor the statement of the State Government mentions anything about the missing people. When I went there on that particular day the villagers did report that more than 20 people were missing, but I cannot say at the moment whether anyone is missing because no report says about anyone missing. That means, I must presume that nobody is missing now. Everyone is back home, I should presume that.

SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: I have got information that they are still missing.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: The burnt bodies that are found have also not been mentioned in any of the two reports.

SHRI M. M. JACOB: Many hon. Members asked a general question whether the revenue department was alerted that firing was going to take place and, therefore, they should be carefult and so on and so forth. There is no information and I may not be able to react on this.

The hon. Member said that he met one Sanyasi who reported that his whole ashram was burnt and some atrocities had taken place. That Sanyasi met me also and I cannot deny the fact that he met me. He narated the history before me and other officials who were there. I think the investigation team will take into account all the points mentioned by this friend.

Mr. Upendra asked questions about the directives and guidelines given to the State Governments in a meeting of the Chief Ministers in October. The meeting was presided over by the Prime Minister. Certain guidelines and directives were given to the State Governments to take action in future to prevent any atrocities on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The agency that is monitoring this is the Ministry of Home Affairs and I am happy to say that all the State Governments have responded to us, mentioning that they are taking action according to the guidelines issued. But in this particular instance I have mentioned in my statement that the Home Minister has written to the Chief Minister of Rajasthan on 28th April, 1992, regarding the need to review the capability of law implementing agencies. I am sorry to say that we have not heard anything from the Chief Minister of Rajasthan in response to the Home Minister's letter sent on 28th April, 1992. Now, Mr. Upendra asked another question regarding the

6.00 P.M. cases booked by the CBI under section 300 of the SC and ST Prevention of Atrocities Act and also progress of inquiry by the CBI, etc. Seven cases have been booked by the CBI under section 3 of the SC and ST Act. The CBI has booked 16 cases and already examined 273 witnesses in this case.

[Shri M. M. Jacob]

Then a question was asked about the version given of the incident of the cinema theatre. Since the matter is under investigation, again I am not repeating that answer.

Mr. Sukomal Sen has asked about the drinking water supply "Having come to know that on the 4th June, the water supply was cut, what action was taken by the State Government?" The only report which we got was, "It was restored back." That is all. I cannot say when it was restored. The reply was, "The water supply is restored back." Then, about the assembly of the Jats it was asked, "A large number of people assembled at one place and conspired, etc. Was there any intelligence information available to the State Government?" I do not think there was any information. If the information was there, we can presume that somebody would have prevented their coming to the village. But since there was no prevention noticed, I cannot say whether there was information available.

Mr. Sukomal Sen also asked whether there was negligence on the part of the officials and, if so, what are the actions taken against the officials. Madam, the questions as to how far an officer was negligent and what was the area of negligence will come out only after the investigation. It may be difficult for me at this stage to say anything.

Mr. Gurudas Das Gupta has asked me a very difficult question. "What is the political complexion of the people who engineered this kind of an attack on the Dalits?" Since most of us know the political complexion—all of us sitting here in this House as well as outside—I hope he will not pressurize me to give the political complexion of individuals who assembled there or who are controlling the Administration in various stages.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: On a point of explanation, I didn't ask this question. I asked the question like this: Whether the political complexion of the people in power in that State has encouraged this type of an atrocity because we have seen some such atrocities in some of the other States also? I didn't ask that question.

SHRI M. M. JACOB: Thank you very much. Anyway, I understand your question.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Political pressure indicated by the fact that the petrol pump that provided the petrol for the fire belonged to the Congress(I).

SHRI M. M. JACOB: I will come to that... (*Interruptions*)... Another question was also asked about the Prime Minister.

... (*Interruptions*)...

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Because he has asked about the political complexion, I have said that... (*Interruptions*)...

श्रीमती सत्या बहिन : वह कोई भी हो सकता है । हम तो खुद कह रहे हैं ... (**व्यवधान**)...

श्री राजू भाई ए० परमार (गुजरात) : हम लोगों ने दल से ऊपर उठकर बात करी है, फिर आप क्यों कांग्रेस की बात करते हैं ? ... (**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Let the Minister reply.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : हमारे मैम्बर ने भी, उसका जिक्र नहीं किया था, जान-बूझकर नहीं किया था जब आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तब मैंने कहा है । (**व्यवधान**)...

श्रीमती सत्या बहिन : हम तो खुद कह रहे हैं कि उस पैट्रोल पम्प को खारिज करो ... (**व्यवधान**)... गिरफ्तार करो । ... (**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please sit down. Let him reply.. (*Interruptions*)...Satyaji, please sit down ... (*Interruptions*)... Let the Minister reply.

SHRI M. M. JACOB: Mathur Saheb has asked a very relevant question about the petrol pump and the owner of the petrol pump. I have two sets of basic information with me. One is the State Government report, the statement given to us by them. Another is what I saw and heard on the spot. None of the persons present there, mentioned anything about the petrol pump to me because—I do not know—they were more concerned about their own rehabilitation, welfare, their own problems. They had become houseless people. When I visited that place, Mathur Saheb, the first had not even subsided totally. I could see the remains of logs of wood and something else burning and ash. That was the scenario. Nobody will think of any other niceties when people have nothing to eat and drink and the women are weeping with children in their arms. I was actually shocked by that sight. That is why none of us were really tuned to get more information about anything else, other than the future of those people who are without any...

SHRI JADGISH PRASAD MATHUR: I agree. That will be the case of anybody on the spot. It is absolutely human. That is why our Member did not refer to that. He refrained from doing that.

श्री राम नरेश यादव : ... (व्यवधान) स्टेट गवर्नमेंट ने गलत रिपोर्ट भेजी है ।

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: It is very nice of you that you have understood the gravity of the incident. Take care of it in the future.

SHRI M. M. JACOB: Madam, another question asked by Mr. Gurudas Das Gupta is whether the Prime Minister gave any financial assistance for their relief. My information is that the President of the Congress Party, Shri Narasimha Rao... (*Interruptions*). The President of the Congress Party sent Rs. 10,000 for the families of each of the 14 deceased persons on behalf of the President of the Congress Party.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Could nothing be given from the Prime Minister's Relief Fund to the victims? That is my point.

SHRI M. M. JACOB: That is a different question. I mentioned only what happened immediately... (*Interruptions*).

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will funds be made available from the Prime Minister's Relief Fund?

SHRI M. M. JACOB: Another question asked was what the police did. According to the report of the State Government, the police first resorted to tear-gas and then smoke.

SHRI V. NARAYANASAMY: We want your report.

SHRI M. M. JACOB: Then it lathicharged.

SHRI V. NARAYANASAMY: We do not want the State Government report. We don't believe in its report at all.

SHRI M. M. JACOB: Then it opened 30 rounds of fire in the area.

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: And nobody was injured!

SHRI V. NARAYANASAMY: Your report has been cooked up. It is an eye-wash.

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Even after opening the fire nobody got injured!

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister yield for a minute? ... (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: What is your information?... (*Interruptions*). Madam, this is the State Government report.

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Nobody was injured!

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: After this carnage, the Government... (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: It was given by the State Government. What is your report?... (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: After this carnage, it was the bounded duty of the Central Government as the central authority of the country to find out through its own source —it is having its own agencies—actually what the situation was and what let to it. The hon. Minister could have given the information alongwith the information supplied by the State Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): He will reply now... (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: We are not here to listen to the police report.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please let him reply.

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: He is corraborating the fact. He is not saying, "No." But the only point is that when the firing had taken place, nobody was injured! Were empty bullets found there? Nothing was found. We enquired about it on the spot... (*Interruptions*).

SHRI M. M. JACOB: As a person who visited that spot, I myself mentioned in the beginning that this question I my self had asked that day, "Why could the police not prevent such a situation?" I am expecting that the inquiry report, the investigation report will come out with some facts about it. Till then we are not interested in giving some half-truth or half-information. So, let us get full facts about it... , (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Hon. Minister, is it true... (*Interruptions*)

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: What preventive measures you are taking for future?

... (*Interruptions*) ...

MISS SAROJ KHAPARDE: The hon. Minister has just now said that the matter is under investigation. It is really unfortunate. If it is so, then what was the necessity of his making this statement on the floor of the House today itself? He would have said the matter is under investigation. Please postpone this business.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): He made the statement because of the Calling Attention.

MISS SAROJ KHAPARDE: When I saw the statement made by the Minister, I felt it was not from the Central Government. It was from the State Government. What I want to say is that the Minister himself had visited the place on the 16th of this month. I want to know his observation and his report.

डा० अबरार अहमद : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि जब केंद्रीय सरकार ने अपने माध्यम से कोई जानकारी प्राप्त नहीं की तो राज्य सरकार द्वारा भेजी गई इस गलत सूचना को इस सदन के माध्यम से देश तक पहुंचाने से, देश को धोखा देने से क्या लाभ है ? हम गलत तथ्यों को इस सदन के माध्यम से देश के अंदर पहुंचा रहे हैं । इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और अगर केन्द्र सरकार के पास अपने माध्यमों से कुछ जानकारी है, या आप खुद वहां गए और जो सच्चाई आपको पता है वह सदन के सामने रखिए बनिस्बत कि जो राज्य सरकार इसमें अंतर्निहित है वह अपनी बात रखे ।

श्रीमती सत्या बहन : मैडम, हम सब लोगों ने इस बात की मांग की है, कि गृह मंत्री जी वहां होकर आए हैं, वह खुद वक्तव्य दें ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please, let me identify. Don't get up like this. Please sit down. Satya Ji, I have identified Mr. Das Gupta. Please sit down.

श्रीमती सत्या बहन : मैडम, केंद्रीय सरकार ने एक डाकिए का काम किया है । ... (व्यवधान) ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): If you speak without my permission, it will not go on record. I will call you later on.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I put a pointed question. My question was that two Government officials—one belonging to the Industrial Extension Panchayat as officer-in-charge, who himself is a Harijan—had run to the Police Station just a few hours before the incident and conveyed to them their apprehension....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please be brief.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Instead of taking cognisance of that, he was beaten up. Similar was the fate of the Forest Guard. I would like to know whether the Minister is aware of this.

SHRI P. UPENDRA: As far as the procedure adopted by the Home Minister is concerned, you cannot find fault with it. He has to obtain a report from any State Government. He cannot discriminate between the State Governments. He can't say don't rely in the case of one State Government and rely in the case of another State Government. To obtain a report from the concerned State Government is the usual procedure. What I want to ask him in a sensitive case like this is this. Since he has already visited that place and since the CBI is to inquiring into the incident, I want to know whether the facts collected by him and the CBI tally with the report of the State Government of Rajasthan or they are at variance.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: I would like to know whether the SP was informed on telephone that he had been transferred. If he was informed, who had informed him telephonically that he had been transferred?

SHRI M. M. JACOB: I don't have any information about the telephonic transfer of any officer. But after my return from that place I was informed that the S.P. and the District Magistrate, who were there on the day I visited there, were subsequently transferred. I do not know whether it was through telephone or through a Government order. That is what I heard.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Were they in position or in authority on the day of your visit?

SHRI M. M. JACOB: When I was there, they were there. The people I saw there, were transferred the next day.

Mr. Gautam asked a question about the use of tractors and trollies for the purpose. Yes, I was told that they came in tractors and trollies. That was also said in the report that tractors and trollies were used to come in there.

Shri Ajit Jogi questioned about the rule of law and the conspiracy. He suggested that it must be taken as an all-party issue, because it is an atrocity on Dalits and that it should not be politicalised. We should find out the methods as to how best it could it prevented in future. So I sincerely agree with him that it is a major issue, it is not a minor issue even though

[Shri M. M. Jacob]

the people who died were only fifteen. The nature of atrocity is so horrible that all parties must take it as a serious issue so that it is not repeated anywhere in our country. It is a blot on the society as a whole,I agree with him.

Mr. David Ledger has asked many questions. He wanted to know whether the officials who were responsible were punished and all that. At the moment, there is no information. There has been no action taken on that side. Probably after the inquiry report comes in, we may be able to know what exactly is the matter.

Mr. Narayanasamy has said that the Prime Minister who was in Rio de Janeiro at that time was concerned about it. Yes, the Prime Minister was also concerned about it. As soon as I got a message from the Prime Minister who was in Rio de Janeiro, I immediately cancelled my tour in Southern India and rushed to Kumher to find out what were the relief operations undertaken and what were the various relief works taken up by the State Government. I gave my views to the officials who were present there. Though it has been stated that so many packets of foodstuffs were there, when I went and visited that place there were no packets of foodstuffs. So I told the Collector who was present there and also the Inspector General of Police that they should arrange immediately food materials to the affected people.

I saw that some animals were dead and some animals were partially burnt. Some veterinary doctors could not rush into save those animals. I told them about this fact.

The purpose of my visit was purely to see that the relief operations were taken up seriously and to find out any lapse in the relief measures but not to indict anybody, not to see whether the State Government had failed or not. The purpose of my visit was to save the lives of the surviving Dalits and to see how best we could help them in this calamity. That was precisely the point for which I visited that place. I gave my views to the officials who were present there. They immediately agreed with my views.

When we instituted a CBI inquiry from here, the State Government has agreed to it. I myself talked to the Chief Minister of Rajasthan and told him that the CBI needed all support and help from the State Government including the list of officials. The Chief Minister of Rajasthan has agreed with me and said: "I will provide all facilities to the CBI."

AN HON. MEMBER: But so far not provided.

SHRI M. M. JACOB: According to the information I got, all facilities have been provided.

MISS SAROJ KHAPARDE: Why are you so soft towards the BJP Government?

SHRI M. M. JACOB: Dr. Abrar Ahmed and Mr. Ram Gopal Yadav have mentioned the same point including the water supply. They have asked, "Why was not section 144 imposed? What was the police doing?" I think, I have answered most of the questions. I do not know whether section 144 was used or not. We will come to know about it later on..... (*Interruptions*)... An hon. Member has said that the State Government has failed to protect the lives of the people, the Central Government has to protect the lives of the people. ... (*Interruptions*)... Supply of arms to everybody is not an answer. It is only a dereliction of duty by the State Government. ... (*Interruptions*)...

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Mr. Minister, will you yield for a minute?

SHRI M. M. JACOB: Okay.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Madam, tension is still prevailing in the village. It requires that an all-party delegation should visit that place and see that the situation becomes normal. May I know from the hon. Minister whether he will take steps to see that an all-party delegation visits that place? This is a question of normalising the situation there. Will he accept my suggestion?

SHRI M. M. JACOB: I was told that delegations from various political parties have already visited that place. They have submitted their reports to their respective political parties. I also got a few reports from various people who visited that place. And a Congress delegation, led by the AICC members themselves, visited that place. It is all fact. But the State Govemnrent is also aware of the tension prevailing in that area; not only in that particular village, but in the surrounding villages also. So, our effort in this House, by projecting this particular issue, the Kumher incident, is to ensure that these atrocities on Harijans or Dalits or Yadhavas or whatever they are called, are not repeated. We must ensure total security to them. Several hon. Members of this House have expressed their opinions freely and frankly in this debate. I am sure the State Government will take into account all the opinions expressed by the House and continue the activities of the State Government machiery to see that such atrocities are not repeated and that the tension is defused in that area.

If, in the wisdom of the Speaker and Parliament, at a later stage, it is decided that an all-party delegation is necessary, then we can go into that question. We have never discussed that matter so far because most of the parties have gone there on delegations, separate delegations. (*Interruptions*).

I have got just now a message about the prohibitory orders. Prohibitory orders under section 144, Cr. P. C., including curfew orders, were promulgated in Kumher town. (*Interruptions*).

DR. ABRAR AHMED: When?

SHRI M. M. JACOB: After the incident. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): He has answered it already.

SHRI M. M. JACOB: I am thankful to all the Members who have participated in this discussion. At the same time, I have an appeal to make to my colleagues, hon. Members of this House. This is a very sensitive issue. This is a very delicate matter. Highlighting any aspect and then accusnig each other is easy. But to ensure protection to the Dalit in any part of the country is more important. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): If we go on like this, we will have to sit through the night, Mr. Jaiswal. I cannot keep on allowing everyone. No, I am not allowing. Everyone is raising his hand. If I allow you, then everybody has to be allowed. (*Interruptions*).

SHRI ANANT RAM JAISWAL: Madam, only one question. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Satyaji, please sit down. I cannot allow this any more.

SHRI M. M. JACOB: I think the whole House agrees that such atrocities on Dalits should not recur. The State Government I am sure, would take note of the opinions expressed here and prevent such atrocities being committed again in future. Thank you very much.

श्रीमती सत्या बहिन : मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ उसका उन्होंने क्यों नहीं कोई जिक्र किया ? स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट में भी इसका कहीं जिक्र नहीं है और न ही आपकी स्टेटमेंट में । क्या इसको दबाने की कोशिश की जा रही है मैं यह पूछना चाहती हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): He has finished answering. You can ask him privately, Satyaji. You can go to him now and ask him. Yes, Mr. Jaiswal.

श्री अनन्त राम जायसवाल : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि आप स्टेट गवर्नमेंट को यह सलाह देंगे कि इतनी बड़ी जो घटना हुई है वह दुबारा न हो और इसके लिए वह यूनिटिव फोर्स लगायेंगे ?

SHRI M. M. JACOB: I will convey your feelings to the State Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): We will now have to take up the Rehabilitation Council of India Bill, 1992. (*Interruptions*). All right. We will take it up tomorrow. The House now stands adjourned till 11 o'clock tomorrow morning.

The House then adjourned at twenty-four minutes past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 21st July, 1992.